



Revised Scheme Guidelines

National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)

{Formerly Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)} APPLICABLE FROM THE YEAR 2023-24.

1 INTRODUCTION:

- (i) Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) is being implemented for the rehabilitation of persons engaged in manual scavenging. The manual scavengers being identified through survey are being provided rehabilitation under the Scheme since 2013.
- (ii) Following the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" (MS Act, 2013), there have been numerous efforts to understand challenges of safe cleaning of sewers and septic tanks and develop approaches, policies, standards and regulations in order to improve the working conditions in the sanitation sector. Since then, benefits like subsidized loans to sanitation workers for procurement of sanitation-related projects, training support for skill building, workshops on hazardous cleaning of sewers and septic tanks etc. are being provided under SRMS.
- (iii) Although great success has been achieved in the elimination of manual scavenging and rehabilitation of the identified manual scavengers, a lot needs to be done for full mechanization of cleaning of sewers and septic tanks and rehabilitation of the sanitation workers engaged therein.
- (iv) The Swachh Bharat Mission 2.0 guidelines, under the Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), focus on the welfare of sanitation workers urging Urban Local Bodies (ULBs) to promote their occupational safety through access to protective equipment, training and increased awareness, amongst others. The Deendayal Antyodaya Yojana- National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) guideline suggests that at least 10% of self-help groups (SHGs) formed should be of persons engaged in vulnerable occupations, including sanitation workers. These SHGs would then be empowered to run their own enterprises.
- (v) The Government of India issued an advisory in July 2019 to all States to establish Emergency Response Sanitation Units (ERSU) in all cities with the objective to systemize human entry into sewer/septic tank through the organisation of a professional, well trained, and appropriately equipped establishment.





- (vi) However, despite the provisions under the MS Act 2013, persons are still being engaged for cleaning of sewers, drains containing sewage and septic tanks without proper safety gear and safety precautions. As per the information received by the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) from 24 States and Union Territories, 1056 sewer and septic tankrelated deaths have taken place between1993 and 30.06.2023.
- (vii) Despite several efforts by various Ministries, the sanitation sector is highly unregulated, and sanitation services get delivered in various forms/modes formal governmental delivery of services through its own employees or through service providers formally contracted by the government, informal service providers not registered or licensed and finally by individual sanitary workers. Sustainable Development Goal (SDG) 6 of 'clean water and sanitation for all' cannot be achieved in its entirety without ensuring SDG 3 (good health and well-being) and SDG 8 (decent work and economic growth) for sanitation workers.
- (viii) Most tier II and III statutory towns do not have proper underground sewerage/ drainage systems. Even the cities which have underground sewerage/ drainage systems are not fully equipped for mechanized cleaning. Sanitation workers are still being engaged in the manual cleaning of sewers without prescribed protective gear and devices, thereby exposing them to health hazards. It is, therefore, necessary that a specific action plan is prepared for such workers for their identification, training and rehabilitation and provide machines/ equipments for mechanized cleaning fewers and septic tanks.
- (ix) An external, dedicated and sensitive support structure, from the national level to the city level, is required to inculcate safe occupational practices, strengthen the operationalisation of Sanitation Response Units and promote skilling and entrepreneurship. The Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) and MoHUA, formulated the National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) scheme to make sanitation work safer across urban India in a time-bound mission mode. NAMASTE is a convergent effort amongst different Ministries to ensure the safety and dignity of sanitation workers.
- (x) In the meeting held on 19.2.2020, a Group of Ministers headed by the Hon'ble Defence Minister deliberated on the NAMASTE and the following decisions were taken:
 - a. District Magistrate in every district can be designated as the Responsible Sanitation Authority (RSA). His role/ responsibility should be clearly defined through Statute.





- b. A well-equipped Sanitation Response Unit (SRU) shall be set up in the Headquarters of the ULB of the district, with a mandate to serve the entire district – both rural and urban. Apart from this, each of the Municipal Corporations shall have a separate SRU.
- c. The proposals to fund the faecal sludge and septage management system shall be considered at the earliest for implementation within three years.

2 **DEFINITIONS**:

- (i) Manual Scavenger and Manual Scavenging: As per Manual Scavengers Act,2013 "manual scavenger" means a person engaged or employed, at the commencement of this Act or at any time thereafter, by an individual or a local authority or an agency or a contractor, for manually cleaning, carrying, disposing of, or otherwise handling in any manner, human excreta in an insanitary latrine or in an open drain or pit into which the human excreta from the insanitary latrines is disposed of, or on railway track or in such other spaces or premises, as the Central Government or a State Government may notify, before the excreta fully decomposes and the expression "manual scavenging" shall be construed accordingly.
- (ii) Hazardous Cleaning of Sewer/ Septic Tank: As per MSAct,2013 "hazardous cleaning" by an employee, in relation to a sewer or septic tank, means its manual cleaning by such employee without the employer fulfilling his obligations to provide protective gear (as defined in MS Rule, 2013) and other cleaning devices and ensuring observance of safety precautions, as may be prescribed or provided in any other law, for the time being in force or rules made there under;
- (iii) Family and Dependent are defined for all rehabilitation measures, as under:
 - a. Skill Development Training Programme (SDTP)/Loan Scheme: All identified manual scavengers and their dependents who are willing and are above 18 years of age are eligible for skill training and loan. The guidelines issued by MSDE & MoSJE, from time to time, will be followed for SDTP for NAMASTE.
 - **b. Health Insurance:** Family for the purpose of health insurance coverage would be same as adopted under PM-JAY for other families.
- (iv) Dependent: The dependent of identified manual scavengers and sanitation workers is one who is a member of their family or is dependent on them. Each identified manual scavenger or sanitation worker and his/ her spouse or children who are at the age of 18 years and above, who are not employed will be provided admissible benefits.





- (v) Sanitation Workers/ Safai Karamcharis: "Sanitation Worker" means a person, engaged in or employed for any sanitation work and includes waste pickers and also those persons who were engaged in cleaning of sewers and septic tank, but excludes domestic workers.
- (vi) **Sewer and Septic Tank Workers (SSWs):** Sanitation Workers who were engaged in cleaning of sewers and septic tanks will be identified as sewer and septic tank workers during the profiling conducted under the Scheme.
- (vii) Sewer Entry Professional (SEPs): Sanitation Workers who were engaged in cleaning of sewers and septic tank and required to enter into Sewer and Septic tank with permission and well equipped with safety kits and devices will be identified as sewer entry professionals (SEPs). All SRU should identify such SEPs during the profiling of SSWs and only then they will be allowed to enter in Sewer and Septic tanks.
- 3 **NAMASTE** is a Scheme, effective from 2023-24 upto 31st March, 2026 with the following details:-

3.1 Goal of NAMASTE

- (i) In the spirit of the decisions of the Group of Ministers, the goal of NAMASTE Scheme is to ensure safety and dignity of sanitation workers in India by creating an enabling ecosystem that recognizes sanitation workers as one of the key contributors in operations and maintenance of sanitation infrastructure thereby providing sustainable livelihood and enhancing their occupational safety through capacity building and improved access to safety gear and machines.
- (ii) NAMASTE would aim at providing access to entitlements and livelihoods support to reduce the vulnerabilities of sanitation workers and enable them to access self-employment through providing upfront Capital subsidy for Sanitation Related Project to make them "SANIPRENEUR" and skilled wage employment opportunities after getting occupational Safety Training & PPE Kits.
- (iii) In addition, NAMASTE would bring about a behavior change amongst citizens towards sanitation workers and enhance demand for safe sanitation services, as all service seekers have to approach SRU for cleaning of Sewer Septic Tanks, no informal worker will be allowed to undertake such work.

3.2 Intended Outcomes

The core belief of NAMASTE is that sanitation workers aspire to live a dignified life and work in a safe and better environment. NAMASTE aims to achieve the following outcomes:





- a. Zero fatalities in sanitation work in India
- b. All sanitation work is performed by formalized skilled workers
- c. No sanitation workers come in direct contact with human faecal matter
- d. Strengthening and capacitating SRU to ensure safe delivery of mechanized sanitation services
- e. Sanitation workers are collectivized into SHGs and are empowered to run sanitation enterprises
- f. Sewer and Septic tank workers (SSWs) and their dependents also have access to livelihoods by providing capital subsidy for purchase of sanitation related equipments.
- g. Increased awareness amongst sanitation services seekers (individuals and institutions) to seek services from registered PSSOs and skilled & certified sanitation workers
- h. Extending Health Insurance Scheme benefits under AB-PMJAY to SSWs & manual scavengers and their family members.
- i. Occupational safety training to SSW would be provided by MSDE through their Sector Skill Councils/ approved Training Partners and MoSJE through NSKFDC and skill training to manual scavengers would be provided by NSKFDC through SIDH Portal of MSDE.

3.3 Strategy

NAMASTE will adopt the following strategy:

- (i) Establish strong convergence amongst key stakeholders, including MoSJE, NSKFDC, MoHUA, MoHFW, MSDE, DPIIT and DoDWS to leverage their strengths and specific roles to achieve the intended outcomes.
- (ii) Implement the Scheme in close coordination with the ULBs, including regulation of sanitation work to ensure service delivery by licensed/empanelled and regulated professional individuals/ agencies through Sanitation Response Units (SRUs)
- (iii) Create training ecosystem, institutional strengthening and Information Communication Technology (ICT)-enabled monitoring
- (iv) Focus on awareness generation and behaviour change amongst sanitation workers, service seekers and employers through IEC





(v) Form and strengthen 'sanitation workers' as community-based institutions/ individuals to run sanitation enterprises

3.4 Coverage: Cities and Target Population and Timeline

- (i) NAMASTE Scheme will be implemented across all ULBs (at present about 4800 plus ULBs) including para-statal bodies (Jal Boards etc.), Cantonment Boards (Civilian areas) of India
- (ii) The primary target of NAMASTE is the sewer and septic tank workers (SSWs) involved in hazardous cleaning operations and directly dealing with human faecal matter in urban areas of India. This shall include workers on the payroll of ULBs, parastatals and workers engaged through private sanitation service organizations (PSSOs), including private contractors and SHGs, involved in the following sanitation works directly:
 - a. Emptying of septic tank
 - b. Sewerage network maintenance
- (iii) The ULBs shall be required to submit details of SSWs through the NAMASTE portal, including SSW profile, registered and unregistered PSSO details and contracts, payment details, existing city sanitation infrastructure, including status of availability of machines, equipments and safety gears etc.
- (iv) Timeline: NAMASTE will be implemented over a period of three years from 2023-24 to 2025-26.
- 3.5 Convergence of Programmes of MoSJE & MoHUA: NAMASTE is a joint initiative of MoSJE and MoHUA. The safety of SSWs is a joint responsibility of MoSJE and MoHUA; hence, the intent of NAMASTE is to strengthen convergence amongst both Ministries for governance and implementation of the NAMASTE components. The Scheme leverages the available financial allocations of NAMASTE, SBM, DAY-NULM and NSKFDC and brings in a focused approach to provide occupational, social and financial safety nets to the SSWs. Implementation of NAMASTE scheme shall be converged with implementation of the Schemes of MoHUA (SBM and DAY-NULM), particularly for the following interventions/components:
 - **a.** Identification and profiling of SSWs through MIS portal.
 - **b.** Ensure nomination of Responsible Sanitation Authority (RSA) in each district
 - c. Setting up of Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) in larger ULBs of each district having requisite number of trained sanitation workers and





mechanised cleaning equipments to provide services in urban as well as rural areas of district for mechanised cleaning of sewers and septic tanks

- **d.** Operationalise Helpline Number in each ERSU preferably 14420 to get service request from service seekers for cleaning of sewer septic tanks
- e. Train ULBs and ERSU staff to implement NAMASTE including Occupational safety training and skilling for Sewer Entry Professionals (SEPs) & Duty Supervisors
- f. Issue model contracts to ULBs for engaging PSSOs and SSWs.
- **g.** Listing of PSSO's on the MIS portal at local level.
- h. Facilitate SHG formation of identified Sewer and Septic tank workers
- i. Procure and distribute PPE Kits, Safety devices and equipment for deep cleaning (below surface) of sewer/septic tanks for ERSUs
- **j.** Promote and fund for mechanisation of Urban Local Bodies under Swachh Bharat Mission.
- **k.** Provide work assurance to sanitation workers or their groups interested in availing Capital Subsidy for Sanitation Related Projects.
- I. Undertake IEC activities in ULBs

For the above interventions, MoHUA shall issue the necessary guidelines. During convergence process, it would be ensured that there is no duplication in efforts and coverage of beneficiaries.

3.6 Convergence with other Ministries/ Departments:

- (i) Ministry of Health and Family Welfare: For health insurance coverage of SSWs and Manual Scavengers and their families under Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY). Manual scavengers and sanitation workers are among 11 categories whose data is to be used by National Health Authority for their health insurance coverage under PM-JAY. Left over Manual Scavengers and newly identified SSWs will be provided Health Insurance under AB-PMJAY and funded by MoSJE under NAMASTE scheme.
- (ii) Department for Promotion of Industry and Internal Trade: For promotion of innovation in development of equipments/ machines for mechanised cleaning and identification of start-up for the same.
- (iii) Department of Drinking Water & Sanitation: ERSU established in the largest Urban Local Bodies of each district shall service emergency cleaning operation in the peripheral sector of the urban areas, albeit in rural jurisdiction. DoDWS





shall collaborate with these ERSUs for sensitization of its Rural Bodies for availing services of ERSU. DoDWS will do mapping of PSSOs in rural areas and their corresponding tagging with STPs/ FSTPs. They will undertake IEC activities in rural and urban periphery areas about safe cleaning of sewer and septic tanks to promote mechanisation of cleaning operation in rural areas targeting Gram Panchayats and semi urban peripheral areas.

(iv) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will provide occupational training of the SSWs in convergence with PMKVY. The stipend of such candidates would be paid from the funds under NAMASTE.

In addition, Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) shall organize the training through the National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC), in accordance with the Common Norms for Skill Development and the PMKVY 4.0 guidelines. The budget shall be provisioned under the scheme for 40 hours of upskilling training, inclusive of beneficiary travel costs.

3.6.1 NAMASTE would adopt an integrated approach of convergence of the programmes for safety and dignity of sanitation workers involved in cleaning of sewers and septic tanks. Therefore, various required interventions, whether being dealt with by MoSJE or MoHUA or any other Ministry/ Deptt., have been specifically identified and proposed to be consolidated in the integrated approach to achieve the objective of NAMASTE. Broad details of the required interventions and the Ministry/ Deptt. to be responsible for delivery of the intervention for achieving objective of NAMASTE are as follows:-

Part	Components	Responsible Ministry/ Deptt.
Part-A	ERSU formation and functionalisation	
	-Helpline	MoHUA
	-Profiling of SSWs	MoSJE (with the help of ULBs)
	-Capacity Building of ERSU staff and SEP	MoHUA
	-Safety devices	MoSJE
	-PPE Kits	
	For surface cleaning SSWs	MoSJE
	For deep cleaning sewer workers	MoHUA





	-Machines/ Equipments	MoHUA
	Listing of Private Sanitation Service Organizations (PSSOs)	MoHUA
Part-B	Provision of Mechanised cleaning equipments/ machines	
	-ULBs	MoHUA
	-Sanitation Workers (with Aadhar linked bank accounts) under SUY	MoSJE
Part-C	Health Insurance under AB-PMJAY	NHA with funding by NAMASTE for beneficiaries not in the list of NHA.
Part-D	Capacity Building	
	-Occupational Training of Surface SSWs	MSDE/MoSJE
	-Occupational Training of Sewer Entry Professional (SEPs)	MoHUA
	-Workshops	MoSJE
	-Studies and evaluation & peer learning about formation of ERSU	MoSJE
Part-E	IEC Campaign	
	-PSSO Centric	MoHUA
	-Citizen Centric	MoSJE
	-Safai Mitra Centric	MoSJE
Part-F	MIS	
	Development and maintenance of NAMASTE Portal	MoSJE in consultation with MoHUA
Part-G	Administrative and Overhead Expenses	MoSJE





- 3.6.2 In addition, the following existing components under SRMS would focus on SSWs and PSSOs & Private contractors:-
- **(i-A)** Assistance for Sanitation Related Projects: At present, the identified manual scavengers, sanitation workers and their dependents are eligible for capital subsidy for sanitation related projects. SSWs would, therefore, be eligible for Credit linked up-front capital subsidy in a scaled manner which is as under:-

Project cost upto Rs. 15.00 lakh	50% of the project cost
50.00 lakh with each beneficiary	Same as above with maximum per member capital subsidy of Rs. 5 lakh and maximum group project subsidy of Rs. 25 lakh.

- a. The period of repayment of loan, including moratorium period will be five years for projects upto Rs. 5,00,000 and 7 years for projects above Rs. 5,00,000 with a moratorium period to start repayment of loan will be upto 6 months.
- **b.** No liability can be carried forward after 31.03.2026.
- **c.** Beneficiaries of loans who have successfully repaid earlier loans are eligible for loans subsequently.
- d. Lending agencies would issue loan pass books to beneficiaries. These pass books should, inter-alia, contain details such as the date of sanction of loan, amount of loan sanctioned, amount of capital subsidy, rate of interest, amount due under each instalment, due dates of instalments, etc. and details such as address, Aadhar Card and PAN Card details of the beneficiaries.
- **e.** Handholding agencies will be empanelled and would be provided 1% of the project cost for their efforts in providing loan to the target group of NAMASTE.
- (i-B) Upfront Capital Subsidy to Private Sanitation Service Organisations (PSSOs) and Private Contractors for procurement of mechanised cleaning equipment's/vehicles: With a view to advancing the ultimate goal of mechanisation and incentivising private sector stakeholders particularly Private Sanitation Service Organisations (PSSOs) and Private Contractors will be provided upfront capital subsidy to procure and deploy mechanised cleaning equipment/vehicles. To be eligible for subsidy benefits, Private Contractors/ PSSOs must have an active model contract





issued by MoHUA at the time of availing the subsidy. The upfront capital subsidy ceiling shall be as under:

Project Cost	Upfront Capital Subsidy
No limit on	25% of the project cost, subject to a maximum of ₹10.00
unit cost	lakh per unit (whichever is lower)

(ii) Workshops on Hazardous Cleaning of Sewers and Septic Tanks:

Under SRMS, workshops are organized in municipalities on prevention of hazardous cleaning of sewers and septic tanks. During these workshops, the officers, sanitation engineers/inspectors, contractors and workers are made aware about the provisions of the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" and the Rules framed thereunder, particularly about the safety gears and safety precautions to be adhered to for cleaning of sewers and septic tanks. The workshops would continue to be organized with SSWs including representation from public representatives, malls, hotels, hospitals, RWAs etc. and other public places having septic tanks in their establishments. NSKFDC will organize these workshops through its empanelled agencies.

- 3.6.3 The following existing components of SRMS would continue to be implemented for the rehabilitation of identified manual scavengers and their dependents:-
 - (i) Subject to the eligibility criteria of the training Programmes, identified manual scavengers and their dependents who are willing and are above 18 years of age shall be provided, free of cost, skill training of their choice from the list of such trainings organized by the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) from time to time. A monthly stipend of Rs. 3000/-(Rupees three thousand only) or any such amount as may be decided from time to time, shall be remitted by NSKFDC directly into the trainee's bank account as per training programme for the entire training period subject to fulfilling the minimum attendance criteria and other terms and conditions as prescribed in the training programme.
 - (ii) Upfront Capital subsidy of Rs. 5.00 lakh for a maximum project cost of Rs. 15 lakhs will be admissible to identified manual scavengers and their dependents for Self Employment Projects (General projects) under the scheme. However, for projects of Self Help Groups/groups, the capital subsidy of Rs. 18.75 lakh for maximum project cost of Rs. 50 lakh.
 - (iii) The manual scavengers/ dependents beneficiaries have option to select any viable income generating self employment project. Projects would not be imposed on the beneficiaries, rather their interest, experience and choice would be given due weightage in selection of project. An indicative list of projects, which may be selected by the beneficiaries is given at **Annexure-I.**





- (iv) The period of repayment of loan, including moratorium period will be five years for projects upto Rs. 5,00,000 and 7 years for projects above Rs. 5,00,000 with a moratorium period to start there payment of loan will be upto 6 months.
- (v) Beneficiaries shall be provided assistance in the preparation and submission of self employment project proposals for obtaining loans from the financial institutions by the handholding agencies, who will be provided 1% of the project cost of the projects against which beneficiaries have been actually disbursed
- (vi) Credit linked up front capital subsidy will be provided to the beneficiaries in a scaled manner, as follows:

Range of Project Cost (Rs.)	Rate of Subsidy
For individuals	
Upto Rs. 5,00,000	50% of project cost
5,00,000 to15,00,000	Rs.2.5lakh+25% of remaining project cost
For Group Projects:	
UptoRs.10,00,000 per beneficia maximum Project cost upto Rs.50,00,000	ary,Same as admissible to individuals subject to maximum Rs.3.75 lakh per beneficiary

- (vii) Beneficiaries who have successfully repaid earlier loans are eligible for loans subsequently.
- 3.7 **Empanelment of PSSOs:** MoHUA will do profiling of new or listing of existing PSSOs providing services of cleaning of sewers and septic tanks which are empanelled with the local government agency, ULB, or parastatal agencies (viz. Local Development Authority, Cantonment Board, Jal Boards, PWD etc.) Only empanelled service providers will be authorized to provide services for cleaning of septic tanks, machine holes and sewer lines. The details of these service providers will also be available on the NAMASTE portal for the general public.
 - (i) Profiling of SSWs: The ULBs and parastatal agencies will list the SSWs employed by them or PSSOs. The listed SSWs will be verified during profiling camps organized by ULBs with additional information including the details of their dependents and access to various entitlements. The creation of this database of SSW profiles is critical for developing a strong base for the implementation of the NAMASTE plan. Complete profile of SSWs would be available on NAMASTE portal. As per MoHUA, there are 100 core sanitation workers for 5 lakh population. Urban population (estimated) is approx 50 Cr as of 2021 (calculated using census 2011 population and decadal growth rate). Thus, it is estimated that total 1,00,000 SSWs would be identified in this process. The database will enable MoSJE, NSKFDC, MoHUA (including DAY-NULM and SBM 2.0),





NHA and MSDE to reach out to the SSWs and their dependents and provide them with the necessary support for collectivization, skill building and linking with social and financial benefits. Assistance of Rs. 2000/- per 25 profiled SSWs would be provided to the ULBs for organizing the profiling camps.

- (ii) Extending Health Insurance Scheme Benefits: SSWs, owing to the hazardous nature of their work, have a higher burden of disease. Additionally, they belong to the lowest socio-economic strata of society with scant resources to deal with an unexpected health crisis that may emerge from working in the hazardous work environment. To provide safety nets to workers and their families in case they fall sick or meet with an accident, SSWs and their family members, in addition to identified manual scavengers and their family members, will be covered by National Health Authority, under the Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PM-JAY). Once the data of SSWs is made available by ULBs/MoHUA, the process of providing assistance to them will be started. NHA will do de- duplication exercise and only left over Manual Scavengers and SSWs will be provided this benefits under NAMASTE Scheme. Extension of Health Insurance benefit to beneficiaries of NAMASTE would be subject to Department of Expenditure's instructions on their coverage under PM-JAY component.
- (iii) Livelihood Counselling and Support: The Scheme will promote mechanization and enterprise development. NSKFDC will provide funding support and upfront capital subsidy to the Manual Scavengers and sanitation workers including their dependents as individual or as a group, to procure sanitation equipment and vehicles under SUY for the total mechanization of cleaning operations. Details about subsidy has already been indicated at para 3.6.2(i) above. The beneficiaries under the scheme would also be provided handholding support through empanelled agencies for availing loan with capital subsidy. It will be ensured that all loanees have Aadhar seeded bank accounts.
- (iv) Trainings for strengthening ERSUs: NAMASTE will adopt a competency-based approach for training of all ERSU staff and SSWs, creating an ecosystem for delivering simulation/ video-based training, practical assessments and certification, matching global standards. The cost of such training would not be met out of NAMASTE funds but the training programmes would be conducted by MSDE under PMKVY.4.0. As prescribed in the ERSU advisory by MoHUA, only skilled and certified SSWs designated as SEPs will undertake manual cleaning of septic tanks, machine holes, and sewer lines in exceptional cases. Whereas the occupational training of SSWs would be undertaken by MSDE and NSKFDC under NAMASTE, MoHUA will, alongwith requisite safety





devices, provide specific training to the SEPs and staff of SRUs for cleaning of sewers and septic tanks in emergency conditions as per the provisions of the MS Act, 2013 and MS Rules, 2013 and SOP prescribed by them for mechanized cleaning. Trainees covered under occupational training programme of MDSE under NAMASE would be provided the stipend @ Rs. 500/- per candidate, directly by NSKFDC, on Aadhar authenticated payment system, through DBT on PFMS. The data base of candidates trained available on MSDE portal, would be used for payment of stipend.

- (v) Provision of PPE for SSWs: NAMASTE aims at ensuring occupational safety of SSWs by providing them with PPE kit comprising of gloves, body suits, safety shoes, mask, safety goggles etc. as per specification of MoHUA. Most SSWs suffer from respiratory and skin diseases owing to constant exposure to various risks and hazards. The access to PPE Kit throughout the year will save them from respiratory and skin diseases and would have a direct effect on their well being. It would be ensured that there is no duplication of efforts and coverage. The PPE kits as per specifications of MoHUA would be procured through GeM as per the procurement procedure of Govt. of India. PPE Kits for surface cleaning sanitation workers, undertaking mechanised cleaning operations, would be provided to ULBs by NSKFDC through central procurement reimbursement basis for the PPE kits procured by States/UTs @ Rs. 4000/per beneficiary. Whereas, the deep cleaning sanitation workers, undertaking cleaning manually in emergency conditions, would be provided by MoHUA.
- (vi)Provision of Safety Devices to ULBs: The MS Rules, 2013 provide for manual cleaning of sewers and septic tanks only in exceptional cases with the permission of the CEO of the ULB. Keeping this in view, Emergency Sanitation Response Units are being set up in major ULBs, the ERSUs need to have required safety devices for manual cleaning of sewers. Therefore, Safety Devices like Air compressorfor blower, Air purified gas mask, breath mask, breathing apparatus, emergency medical oxygen kit, gas motor, full body wader suit, fishing wader suit attached with boots, head lamp, helmet, safety belt, safety body clothing, safety body harness, safety goggles, Tripod with safety belt etc. upto the cost of Rs. 2,00,000/would be provided to ERSU by NSKFDC through central procurement or on reimbursement basis to the States/UTs for stopping deaths while cleaning sewers and septic tanks. About 1000 SRU are likely to be set up in the country for emergency cleaning of sewers.
- (vii) IEC Campaign: Campaigns would be undertaken jointly by the ULBs & NSKFDC to spread awareness about the importance of the health and





safety of SSWs and availing services through empanelled PSSOs only. Electronic, print media and hoardings at prominent locations shall be used for the campaign in the local language and in English/ Hindi. Outreachprograms will also be undertaken to educate households/ citizens/ RWAs/ Malls owners/ Hospitals/ Hotels/ Contractors to utilize the services of ERSU/ empanelled PSSOs for getting the blockage of sewers/ septic tanks cleared and not to engage any unauthorized agencies or untrained personnel for this purpose. Awareness campaigns would also educate the people about the penal provisions under the MS Act 2013 for engaging persons in hazardous manual cleaning of sewers and septic tanks. Workshops on hazardous cleaning of sewers and septic tanks being organized at present would continue to be organized. Upto 5% of total costof the Scheme can be utilized for IEC Campaign.

IEC Campaign in ULBs would be undertaken by MoHUA and in rural/peripheryareas by DoDWS.

(viii) IT infrastructure: A NAMASTE portal has been executed nationally to display data of empanelled service providers and SSWs at ULB level and monitor the implementation of NAMASTE for tracking targets and achievements by the ULBs. The expenditure will be incurred in compliance of provisions of GFR and other Govt. of India instructions under the budget head of NAMASTE scheme.





(ix) The physical and financial targets during 2025-26 as approved by Standing Finance Committee in its meeting held on 13.08.2025:-

A)	SSW COMPONENT	TIMELINE		NE	
		FY 25-26		26	
S. No.	Components		Unit Cost	Fin. (Rs in Crore)	Remarks
1	Profiling of SSWs	500	2000	0.1	500 camps @ Rs. 2000 per camp
2	Safety Devices for ERSU	667	200000	13.34	
3	PPE kits for surface cleaning SSWs	30000	4000	12.00	
4	Capacity Building Occupational Safety Training of Surface SSWs	Building Occupational Safety Surface SSWs 25000 4405.08 11.01 fee sti		Cost includes course fee of Rs.3405.08 and stipend including travel cost @Rs.1000. (Total amounting Rs. 4405.08 per person)	
5	Workshops	500	20000	1	
6	Capital Subsidy to Sanipreneurs for procurement of Mechanized cleaning equipments/ vehicles	rement of Mechanized cleaning 250 500000 12.5		Per unit Average Cost enhanced to Rs. 5.00 lakh per unit with 50% Capital Subsidy provision.	
7	Capital Subsidy to PSSOs and Contractors for procurement of Mechanized cleaning equipments/ vehicles	100	100000	10	100 units with capital subsidy amounting @ Rs. 10.00 lac each.
8	IEC			1.51	
9	Ayushman Health Insurance Coverage			0.6	
10	Salary to PMUs			3.63	
	Total (A)			65.69	
В)	SRMS COMPONENT				
В,	(Manual Scavengers)				
S.		FY 25-26		26	
No.	Components	Ph y.	Unit Cost	Fin.	
1	Skill Development Training of identified manual scavengers and their dependants	200	30000	6.00	
2	Capital Subsidy for Self Employment Projects to MS and their dependants	200	100000	2.00	
3	Handholding Assistance to beneficiaries for availing loan with capital subsidy	200		0.02	
4	OTCA to identified Manual Scavengers	1*		0.0004	* Notional allocation.
	Total (B)	8.02			
	Total (A+B) 73.71		73.71		





(x) Monitoring & Evaluation of Scheme: There will be a Coordination Committee under the chairmanship of the Secretary, MoSJE, with the following representatives:

i.	Secretary, SJE	-	Chairperson
ii.	Sr. Economic Advisor (Division Head), Ministry of Social Justice and Empowerment	-	Member
iii.	Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Social Justice and Empowerment	-	Member
iv.	Advisor, NITI Aayog	-	Member
V.	Joint Secretary (SBM), Ministry of Housing and Urban Affairs	-	Member
vi.	Joint Secretary (SBM-G) level officer of DoDWS	-	Member
vii.	Joint Secretary Level Representative of Department of Financial Services	nt-	Member
viii.	Joint Secretary level officer from National Health Authority, Ministry of Health & Family Welfare	-	Member
ix.	Joint Secretary Level officer of DPIIT	-	Member
Х.	Joint Secretary level officer of MSDE	-	Member
xi.	Secretary, Urban Development, Maharashtra	-	Member
xii.	Secretary, Social Welfare, Madhya Pradesh	-	Member
xiii.	Secretary, Urban Development, Hyderabad	-	Member
xiv.	Secretary, Urban Development, Uttar Pradesh	-	Member
XV.	Secretary, Social Welfare, Odisha	-	Member
xvi.	Secretary, Social Welfare, Assam	-	Member
xvii.	Managing Director, NSKFDC	-	Convener

NOTE: The committee can call special invitees, if felt necessary, to attend its meeting. The recommendations of the committee would be within the broad parameters of the scheme.

The Coordination Committee will oversee the implementation of NAMASTE, and liaise with other Missions/ Ministries/Departments/Industry associations to explore areas for convergent action at the national, State and city levels. The Coordination Committee will also give advises and suggestion on time to time with respect to safety and security of Manual Scavengers and Sewer Septic Tank Workers.





In addition to Coordination Committee, there will be three tier working group at Centre, State and District level to monitor the activities undertaken for its implementation.

The working group at Centre will be as under:

S No	Composition			
i.	Sr. Economic Advisor / Bureau head – Plar Division, DoSJE	Chairperson		
ii.	Director level officer looking after SBM in MoHUA	Member		
iii.	Director level Officer looking after SBM-G ir Member DoDWS			
iv.	Director, NIC of MoSJE	Member		
V.	Director, IFD of MoSJE	Member		
vi.	Director, Urban Management Centre	Member		
vii.	Director level officer from National Health Authority,	Member		
viii.	Director level officer of MSDE	Member		
ix.	Municipal Commissioner, Thane, Maharashtra* Member			
X.	Municipal Commissioner, Indore, Madhya Pradesh*	n* Member		
xi.	Managing Director, HMWSSB, Hyderabad*	Member		
xii.	Municipal Commissioner, Varanasi, Uttar Pradesh*	Member		
xiii.	Municipal Commissioner, Bhubaneswar, Odisha*	Member		
xiv.	Director, Social Welfare, Govt of Chhattisgarh. looking after Safai Karmacharis*	Member		
XV.	Director, Social Welfare, Govt of Tamilnadu looking after Safai Karmacharis*	Member		
xvi.	Director, Social Welfare, Govt of Mizoram looking after Safai Karmacharis*	Member		
xvii.	Managing Director, NSKFDC	Convenor		

^{*}On rotation basis initially for a period upto 31.03.2025 after that other States will be included.

Working group at State Level will be as under:-

VVOIKI	Torking group at State Level will be as under			
S No.	Composition			
i.	Principal Secretary / Secretary, Social Welfare (looking after Safai	Chairperson		
	Karmacharis)			
ii.	State NAMASTE Nodal Officer from Urban Development Department	Member		
iii.	State NAMASTE Nodal Officer from Social Welfare Department	Member		
iv.	Mission Director, SBM-G	Member		
V.	Convener, State Level Bankers Committee	Member		
vi.	Director, Health	Member		
vii.	Director, Skill Development	Member		
viii.	MD, SKFDC or other state corporation assigned the work of Safai	Convenor		
	Karamcharis			





Working Group at District level will be as under:-

S No.	Composition	
i.	DM/ADM/CEO Zilla Parishad	Chairperson
ii.	Municipal Commissioner of Largest ULB of District	Member
iii.	District Coordinator, SBM-G	Member
iv.	Nodal Officers of ULBs for NAMASTE in the District	Member
V.	Manager, Lead Bank of District	Member
vi.	Representative of Police Department, not below the rank of Dy. Superintendent of Police	Member
vii.	Chief District Medical Officer or Chief Medical Officer of District	Member
viii.	District level officer dealing with Skill Development	Member
ix.	District Nodal Officer of State Corporation	Member
х.	District Social Welfare Officer (looking after Safai Karmacharis)	Convenor

The evaluation of the Scheme will be undertaken during the course of its implementation to effect mid-term corrections and align the Scheme on the achievement of its key objectives. The cost for these activities will be met under the Administrative &Overhead Expenses (A&OE) component of NAMASTE.

(xi) State NAMASTE Coordinators: State NAMASTE Director/ Nodal Officer, nominated by the State Govt. would be assisted by a State NAMASTE Coordinator (SNC)/Project Manager, who will be engaged by the State NAMASTE Directors /Nodal Officers as per the terms and conditions laid down under the Scheme by Government of India. They would be paid lump sum monthly remuneration of Rs. 55,000/- including local travel. Project Managers would be required to arrange their own smart phone and laptop in working condition for which no additional payment shall be made. State Projects Managers would be attached with the State NAMASTE Director/Nodal Officer, who will make their sitting arrangement for which no extra payment shall be made. However, the remuneration of the SNC/ Programme Manager would be paid out of funds of NAMASTE upon satisfactory performance and attendance to be certified by the State NAMASTE Director/ Nodal Officer on monthly basis.

3.8 Implementation Machinery:

(i) National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC), a Public Sector Undertaking under the Ministry of Social Justice & Empowerment, would be the implementing agency for NAMASTE. The Scheme will operate as a joint initiative of MoSJE and





- MoHUA, with a dedicated national team. Implementation of scheme will be monitored by three tier working group as indicated at para 3.7(x) above.
- (ii) Monitoring and reporting will be done by ULBs on a real-time basis through the mobile app and dedicated NAMASTE MIS portal.
- (iii) At the State level, each state shall nominate Director, Municipal Administration/ Mission Director SBM-Urban, or any other suitable officer to act as the Director NAMASTE.
- (iv) At the City level, ULB will designate a suitable officer as nodal officer for implementation of NAMASTE, who will coordinate with NSKFDC and the State Nodal Officer.
- (v) Implementation Period: NAMASTE plan would be implemented for three years from FY 2023-24 to FY 2025-26. It may be continued thereafter in the light of an evaluation done by the MoSJE and MoHUA and after incorporating the suggestions in the Scheme.
- 4 Other rehabilitation benefits as per the components under erstwhile SRMS:
 - (i) The existing schemes of various other Ministries etc., like Ministry of Skill Development &Entrepreneurship, Labour and Employment, District Rural Development Agency, District Industries Centers, Rural Self Employment Training Institute (RSETI), National Urban Livelihood Mission (NULM), National Rural Livelihood Mission (NRLM) etc., for imparting training, would be optimally used for training of beneficiaries. In addition, the National and State specific Training Frameworks prepared under SRMS, for training of beneficiaries, would be the guiding document for selection of training programme for each beneficiary.
- MSDE under PMKVY 4.0 through their empanelled agencies and MoSJE through NSKFDC, from time to time, shall ensure conducting of Occupational Safety Training for identified SSWs at centers near the habitats/work place of sanitation workers to make them aware about following:-
 - (i) Training of mechanized cleaning of sewer septic tanks with protective gears.
 - (ii) Safe and Healthy cleaning practices
 - (iii) Provisions of the MS Act,2013 and the Rules framed there under
 - (iv) Digital literacy
 - (v) Personality Development and personal Hygiene
 - (vi) Social Behaviour etc.
- 5.1 NSKFDC will provide stipend to trainees as per applicable rates as mentioned in para no. 3.6.3 i above.
- 6 Identified manual scavengers/SSWs and their families who are not yet covered





shall be provided Health Insurance cover under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) as per the norms and definition of family (as defined in para 2(iii)(b).

- 7 The Scheme would be implemented through TSA model and Flow of fundsunder NAMASTE would be only through PFMS mechanism. Implementing agencies of the Scheme at all levels should be on boarded on PFMS and EAT /REAT module would be used.
- 8 The following special provisions have been made for effective implementation of the Scheme:-
 - (i) **D/o Financial Services, M/o Finance** may take necessary action for issuance of advisories to the Reserve Bank of India for issuing directions to the all concerned Banks for providing loans to identified manual scavengers and sanitation workers and their dependents (as defined para no. 2(iii) to 2(vi)). The Banks also be advised for time bound disposal of loan applications within a period of three month from receipt of application. If not possible they may intimate the reason in writing to the NSKFDC through E-mail.
 - (ii) Data of Identified Manual Scavenger and SSWs will be shared with D/o Financial Services, M/o Finance by NSKFDC for saturation of Social Security Schemes like Atal Pension Yojana, PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana etc among them.
 - (iii) In order to promote mechanized cleaning and related sanitation projects by the identified Manual Scavengers and sanitation workers and their dependents, Urban Local Bodies (ULBs) would be advised to provide mechanized cleaning contracts to them and also issue job quarantee to concerned banks.
 - (iv) Arrangements would be made for hand holding of the target group through reputed NGOs and other agencies for providing capacity building support to the beneficiaries in taking up suitable self employment ventures and liaison with related agencies for availing loans and setting up the self enterprise.
 - (v) NSKFDC will obtain Utilization Certificate to monitor the subsidy extended to beneficiaries. Banks and State Channelising Agencies would be responsible for Project feasibility and evaluation.
 - (vi) Loans extended by Banks to the target group will be covered under relevant credit guarantee mechanism.
 - (vii) IEC campaigns including awareness camps shall be organised by NSKFDC from time to time to create awareness generation among the target group about





the training programmes and other benefits available for them. Social media platform may be invariably used for IEC campaign.

- 9 The complaints regarding diversion of funds by beneficiaries for their other needs shall be dealt by Banks as per the lending policy of the Banks/ Financial Institutions in this regard. In addition, such beneficiary shall also be liable to repay the entire amount of subsidy immediately with a penal interest of 9% per annum and shall be ineligible for any future assistance under the scheme.
- 10 The ULBs shall act as coordinators between the beneficiaries and the banks/ financial institutions and ensure timely disbursement and recovery of loans.
- 11 District level Vigilance Committees set up under the 'Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 shall monitor the rehabilitation of identified manual scavengers and sanitation workers and their dependents under their jurisdiction.
- 12 In order to ensure real-time monitoring of the implementation of the Scheme, an interactive website would be created and made operational. The software shall ensure real time data feeding at ULB/ district/ State and National level of beneficiaries and benefit provided to them.
- 13 The administrative and Overhead Expenses including studies and evaluation shall be 2% of other cost. Development and maintenance of NAMASTE portal shall be done as per norms approved by SFC.
- 14 The entire process of receiving and processing of documentation for availing different benefits under the scheme shall be made online as for as possible.
- 15 Progress report regarding implementation of the Scheme would be monitored through the NAMASTE Portal.
- 16 The NSKFDC will follow the guidelines of MSDE, DoSJE and Department of Expenditure etc., issued from time to time, for implementation of scheme and release of funds.





Annexure-I

Indicative Projects/Activities (for Manual Scavengers)

S. No.	Sector	Indicative Projects/Activities/Schemes
1	Agricultural Sector:	Mixed Farming, Bee keeping, Goatery, Dairy, Duckery, Poultry, Milch Animals. Land Purchase, Plants Nursery, Vermi Composting, Medicinal and Aromatic Plants, Sericulture and Mulberry
		Farming, Mushroom Cultivation, Tractor, Power Tiller, Horticulture.
2	Service Sector:	Tea Leaf Shop, Tea Stall, Cane Bamboo Shop, General Store, Singar Shop, Sale of Steel Utensils, Gift Items Shop, Statue Making, Carpentry, Rickshaw, Flower Shop, Egg Business, Rice Selling, Badi/Papad Making, Readymade Garments, Mobile Repairing, TV/Domestic Appliances Repairing, Electrician, Plumbing & Mason, Fruit & Vegetable Vendor & Meat Shop, Paan Shop, Beauty Parlour, Footwear Shop, Domestic Appliances Repairing, Electronic Shop, CD/Cassettes Shop, Computer, Fast Food, Photo Studio, Dice Polishing, Imitation Jewelry, Gift Stall, Cycle repairing, Barber Shop, Tailoring Shop, Flour Mill, Bicycle Hiring and Repairing, Wooden Photo frame, Handmade bricks, Jali Pillars, Herbal Cosmetics, Rakhee/Decorative Jhallers, Fabrication Work, Shuttering, Carpentry, Business, Fertilizer Shop, Mobile Repair, Battery binding & repairing, Two/Four wheeler repairing, Barber Shop, Auto-rickshaw(Petrol), Automobile Repair Shop, Music Store etc. Dhabas/Mini Hotel, Advocate Office, Bricks Sale, Travel Agency, Medical Shop, Internet Cafe, Plastic Lamination, Repairing of Agricultural equipments, Dry cleaning, dyeing & draping, Denting & Painting of Vehicles and Domestic Gadgets, Sanitary & Hardware Shop, Servicing & Repair of Domestic electrical Appliances, Tent House, Band Party.





3	Industrial	Broom Stick, Artificial Jewellery, Paper, Jute & Cloth Bags &		
	Sector:	folders, Paper envelopes & File covers, Airbag/purse, Hawai		
		Chappal, Surgical Bandages making, Paper cup & plates		
		manufacturing, Socks manufacturing.		
		Brush making, Hollow Bricks and Jallis making, Printing		
		Press, Black Smith, Embroidery/Jari Work, Machine Screw		
		Manufacturing, Silver Ornaments, Foot wear Manufacturing,		
		Herbal Shampoo Manufacturing, Tyre Retreading, Rice Mill,		
		Stone Crusher, Hosiery unit, Mineral Soda Water Plant,		
		Ice/Water Plant.		
4	T	Delege Makindra Jana Janasa Ovelia TATA Overs DTV		
4	Transport	Bolero, Mahindra Jeep, Innova, Qualis, TATA Sumo, RTV,		
_	Sector:	E-Rickshaw, Auto etc.,		
5	Sanitary based	Vacuum loader, Suction/jetting Machine with Vehicle,		
	Projects	Garbage Disposal Vehicle, Mobile Treatment Unit (MTU),		
		Garbage tipper, Compactor, De-silting equipments,		
		Cesspool, Brooming Machine, Pay & use toilets etc.		





स्कीम संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते)

{पूर्ववर्ती मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस)} वर्ष 2023-24 से लागू

1. प्रस्तावनाः

- (i) मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस) को मैनुअल स्केवेंजिंग में नियोजित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013 से सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों को पुनर्वास उपलब्ध कराया जाता है।
- (ii) "हाथ से मैला उठाने वाले किर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (एमएस अधिनियम, 2013) के पश्चात, स्वच्छता क्षेत्र में कार्य परिस्थितियों में सुधार हेतु सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई को समझने के लिए दृष्टिकोणों, नीतियों, मानकों, विनियमों को विकसित करना तथा स्वच्छता क्षेत्र में कार्य स्थिति को उन्नत करने हेतु विनियम बनाना। तब से एसआरएमएस के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद हेतु, क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण के लिए, सीवरों और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई पर कार्यशाला आदि के लिए अनुदान-ऋण जैसे लाभ प्रदान किया जाता है।
- (iii) यद्यपि, मैनुअल स्केवेंजिंग का उन्मूलन करने और चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों का पुनर्वास करने के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की गई है तथापि सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की संपूर्ण सफाई मशीनों से करने तथा इस कार्य में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों के पुनर्वास के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
- (iv) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 दिशानिर्देश स्वच्छता कर्मियों के कल्याण पर केन्दित हैं, तथा यह अन्य बातों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से सुरक्षात्मक उपकरणों तक पहुंच, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से अपनी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का आग्रह करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई एनयूएलएम) दिशानिर्देश का का सुझाव है कि गठित स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का कम से कम 10% स्वच्छता कर्मियों सहित जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से निर्मित होना





चाहिए। इसके बाद इन स्व-सहायता समूहों को अपने उद्यम चलाने का अधिकार दिया जाएगा।

- (v) भारत सरकार ने जुलाई, 2019 में सभी राज्यों को सभी शहरों में एमरजेंसी रिस्पांस सेनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) स्थापित करने हेतु परामर्शिका जारी की थी, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक सुप्रशिक्षित, और उपयुक्त रूप से सुसज्जित प्रतिष्ठान के माध्यम से सीवर/सेप्टिक टैंक में मानव प्रवेश को व्यवस्थित करना है।
- (vi) हालाँके, एमएस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बावजूद, लोगों को अभी भी उचित सुरक्षा गियर और सुरक्षा सावधानियों के बिना सीवरों, सीवेज वाले नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के काम में लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1993 से लेकर दिनांक 30.06.2023 के मध्य सीवर और सेप्टिक टैंक से संबंधित 1056 मौतें हुई हैं।
- (vii) विभिन्न मंत्रालयों के कई प्रयासों के बावजूद, स्वच्छता क्षेत्र अत्यधिक अनियमित है और स्वच्छता सेवाएं विभिन्न रूपों/मोडों में वितिरत की जाती हैं अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से अथवा सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अनुबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सेवाओं का औपचारिक सरकारी वितरण, अपंजीकृत अथवा गैर-लाइसेंसीकृत अनौपचारिक सेवा प्रदाता और अंततः व्यक्तिगत स्वच्छता कर्मियों द्वारा वितिरत की जाती है। 'सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता' के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 को स्वच्छता कर्मियों के लिए एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) और एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और अधिक विकास) सुनिश्चित किए बिना पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- (viii) अधिकांश टायर 11 और 111 वैधानिक शहरों में उचित भूमिगत सीवरेज/जल निकासी प्रणालियाँ नहीं हैं। यहां तक कि जिन शहरों में भूमिगत सीवरेज/ड्रेनेज सिस्टम हैं, वे भी मशीनीकृत सफाई के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं हैं। स्वच्छताकर्मी अभी भी निर्धारित सुरक्षात्मक गियर और उपकरणों के बिना सीवरों की हाथ से सफाई में लगे हुए हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसे श्रमिकों की पहचान, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जाए





और सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिए मशीनें/उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

- (ix) सुरक्षित व्यावसायिक प्रथाओं को विकसित करने, सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट के संचालन को मजबूत करने और कौशल तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर से शहरी स्तर तक एक बाहरी, समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने समयबद्ध मिशन मोड में शहरी भारत में स्वच्छता कार्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता इकॉसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते) स्कीम तैयार की है। नमस्ते स्कीम सफाई किर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के मध्य एक संयुक्त प्रयास है।
- (x) दिनांक 19.2.2020 को आयोजित बैठक में, माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने नमस्ते स्कीम पर विचार-विमर्श किया और इसमें निम्नित्यित निर्णय लिए गए:
 - क. प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट को रिस्पांसिबल सेनिटेशन अथॉरिटी (आरएसए) के रूप में नामित किया जा सकता है। उसकी भूमिका/जिम्मेदारी क़ानून के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए।
 - ख. जिले के यूएलबी के मुख्यालय में सुसज्जित सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट (एसआरयू) स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे जिले- ग्रामीण और शहरी दोनों की सेवा करना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक नगर निगम का एक अलग एसआरयू होगा।
 - ग. मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली को वित्त पोषित करने के प्रस्तावों पर तीन वर्ष के भीतर कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द विचार किया जाएगा।

2. परिभाषाएं:

(i) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी और हाथ से सफाई: ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के अनुसार अनुसार "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्डे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों





से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतः विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा इसी रीति से किसी व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

- (ii) मल-नाली/मलाशय की परिसंकटमय में सफाई: किसी मल-नाली या मलाशय के संबंध में किसी कर्मचारी द्वारा "परिसंकटमय सफाई" से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना (एमएस नियमावली 2013 में यथा परिभाषित) और सुरक्षा संबंधी पूर्वाधानियों का, जो तत्समय किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाए, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है।
- (iii) सभी पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए परिवार और आश्रित निम्नलिखित रूप से परिभाषित हैं:
 - क. कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी)/ऋण स्कीम: सभी चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर तथा उनके अश्रित जो इच्छुक हैं तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं इस कौशल प्रशिक्षण तथा ऋण के पात्र हैं। नमस्ते संबंधी एसडीटीपी के लिए एमएसडीई एवं एमओएसजेई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अन्पालन किया जाएगा।
 - ख. स्वास्थ्य बीमा : स्वास्थ्य बीमा करवरेज प्रयोजनार्थ परिवार वहीं होंगे जिन्हें अन्य परिवारों के संबंध में पीएम-जेएवाई के अंतर्गत अपनाया गया है।
- (iv) आश्रित: मैनुअल स्केवेंजरों तथा स्वच्छता कर्मियों का अश्रित वह व्यक्ति है जो उनके परिवार का सदस्य हो या उन पर अश्रित हो। प्रत्येक चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर अथवा स्वच्छता कर्मी तथा उसकी पत्नी/पति अथवा उसके बच्चे, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जो बेरोजगार हैं, उनको अनुमत्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (v) स्वच्छता कर्मी/सफाई कर्मचारी: "स्वच्छता कर्मी" का आशय उस व्यक्ति से है जिसे जिसे किसी साफ-सफाई के काम पर नियोजित अथवा नियुक्त किया गया है और





- इसमें कूड़ा बीनने वाले तथा वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो सीवरों एवं सेप्टिक टैंको की सफाई करते हैं, किन्तु इसमें घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं।
- (vi) सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी (एसएसडब्ल्यू): जो स्वच्छता कर्मी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे हुए थे, उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत आयोजित प्रोफाइलिंग के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी के रूप में पहचाना जाएगा।
- (vii) सीवर एंट्री प्रोफेशनल (एसईपी): स्वच्छता कर्मी जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे हुए थे तथा उन्हें अनुमित के साथ सीवर और सेप्टिक टैंक में प्रवेश करना पड़ता था, वे सुरक्षा किट और उपकरणों से सुसिन्जित होते थे, उन्हें सीवर एंट्री प्रोफेशनल (एसईपी) के रूप में पहचाना जाएगा। सभी एसआरयू को एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग के दौरान ऐसे एसईपी की पहचान करनी चाहिए तथा उसके बाद ही उन्हें सीवर और सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने की अनुमित दी जाएगी।
- 3. **नमस्ते** स्कीम वर्ष 2023-24 से 31 मार्च, 2026 तक निम्नित्खित विवरण के साथ लागू है:-

3.1 नमस्ते का लक्ष्य

- (i) मंत्रियों के समूह के निर्णयों की भावना के अनुरूप, नमस्ते स्कीम का लक्ष्य शहरी भारत में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करना है तिक इस कार्य के लिए एक ऐसे इकोस्टिकम का निर्माण किया जा सके जो स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता अवसंरचना के प्रचालन तथा अनुरक्षण के कार्य में मुख्य सहयोगियों के रूप में मान्यता प्रदान करता हो। इसके अंतर्गत सशक्त आजीविका उपलब्ध कराई जाएगी तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से उनकी व्यवसायिक सुरक्षा तथा सुरक्षा उपकरणों एवं मशीनों के प्रति उनकी कार्य पहंच बढ़ाई जाएगी।
- (ii) नमस्ते स्कीम का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की कमजोरियों को कम करने के लिए पात्रता और आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना होगा और उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं पीपीई किट प्रदान करने के पश्चात स्वच्छता संबंधित परियोजना के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके स्व-रोज़गार तक पहुंचने में सक्षम बनाना होगा ताकि उन्हें "सैनिप्रेन्योर" बनाया जा सके और उन्हें कुशल रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
- (iii) इसके अलावा, नमस्ते स्कीम स्वच्छता कर्मियों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाएगा और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग को बढ़ाएगा, क्योंकि सभी सेवा





सेवा प्राप्तकर्ताओं को सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एसआरयू से संपर्क करना होगा, किसी भी अनौपचारिक कार्यकर्ता को ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 लक्षित परिणाम

नमस्ते स्कीम का मुख्य विश्वास यह है कि स्वच्छता कर्मी एक गरिमामय जीवनयापन तथा सुरक्षित एवं बेहतर परिवेश में कार्य करने के लिए प्रेरित हों। नमस्ते स्कीम का लक्ष्य निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करना है:

- क. भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु।
- ख. सभी स्वच्छता कार्य कुशल कर्मियों द्वारा किया जाए।
- ग. कोई भी स्वच्छता कर्मी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।
- घ. यंत्रीकृत स्वच्छता सेवाओं का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एसआरयू को मजबूत और सक्षम बनाना।
- ड. स्वच्छता कर्मियों को एसएचजी में एकत्रित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार दिया जाता है।
- च. सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों (एसएसडब्ल्यू) और उनके अश्रितों को भी स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके आजीविका तक पहुंच प्राप्त है।
- छ. पंजीकृत पीएसएसओ और कुशल एवं प्रमाणित स्वच्छता कर्मियों से सेवाएँ लेने के लिए स्वच्छता सेवा प्राप्तकर्ता (व्यक्तियों और संस्थानों) के मध्य जागरूकता में वृद्धि करना।
- ज. एसएसडब्ल्यू और मैनुअल स्केवेंजरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा स्कीम का लाभ प्रदान करना।
- झ. एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण एमएसडीई द्वारा उनके सेक्टर कौशल परिषदों/अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और मैनुअल स्कैवेंजरों को कौशल प्रशिक्षण एमएसडीई के एसआईडीएच पोर्टल के माध्यम से एनएसकेएफडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।





3.3 कार्यनीति

नमस्ते स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जाएगी:

- (i) प्रमुख हितधारकों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनएसकेएफडीसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एमएसडीई, डीपीआईआईटी तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मध्य अभिसरण स्थापित करना ताकि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता तथा विशिष्ट भूमिका को स्टुढ़ किया जा सके।
- (ii) सेनिटेशन रिस्पांस यूनिट (एसआरयू) के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त / सूचीबद्ध और विनियमित व्यावसायिक व्यक्तियों / एजेंसियों द्वारा सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कार्य के विनियमन सिहत यूएलबी के साथ निकट समन्वय में स्कीम को लागू करना।
- (iii) प्रशिक्षण इकोसिस्टम, संस्थागत स्दुढ़ीकरण और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)-सक्षम निगरानी बनाना।
- (iv) आईईसी के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों, सेवा प्राप्तकर्ताओं और नियोक्ताओं के मध्य जागरूकता सृजन और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना।
- (v) स्वच्छता उद्यमों को चलाने के लिए समुदाय-आधारित संस्थानों/व्यक्तियों के रूप में 'स्वच्छता कर्मियों ' को तैयार और मजबूत करना।

3.4 कवरेज: शहर तथा लक्षित जनसंख्या एवं समय-सीमा

- (i) नमस्ते स्कीम भारत के पैरा-स्टेटल निकायों (जल बोर्ड आदि), छावनी बोर्डों (नागरिक क्षेत्रों) सिहत सभी यूएलबी (वर्तमान में लगभग 4800 से अधिक यूएलबी) में लागू की जाएगी।
- (ii) नमस्ते स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के शहरी क्षेत्रों में पिरसंकटमय सफाई कार्यों और मानव मल से सीधे निपटने में शामिल सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी (एसएसडब्ल्यू) हैं। इसमें यूएलबी के पे-रोल पर काम करने वाले कर्मचारी, पैरास्टेटल और निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (पीएसएसओ) के माध्यम से लगे कर्मचारी शामिल





होंगे, जिनमें निजी ठेकेदार और एसएचजी भी शामिल हैं, जो सीधे निम्नलिखित स्वच्छता कार्यों में शामिल हैं:

- क. सेप्टिक टैंक को खाली करना
- ख. सीवरेज नेटवर्क का रखरखाव
- (iii) यूएलबी को नमस्ते पोर्टल के माध्यम से एसएसडब्ल्यू का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें एसएसडब्ल्यू प्रोफ़ाइल, पंजीकृत और गैर-पंजीकृत पीएसएसओ विवरण और अनुबंध, भुगतान विवरण, मौजूदा शहर स्वच्छता अवसंरचना, मशीनों, उपकरणों और सुरक्षा गियर आदि की उपलब्धता की स्थिति शामिल है।
- (iv) समयसीमा: नमस्ते स्कीम को वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों की अविध में लागू किया जाएगा।
- 3.5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यक्रमों का अभिसरणः नमस्ते स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। एसएसडब्ल्यू की सुरक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का संयुक्त दायित्व है। अतः नमस्ते स्कीम का उद्देश्य सुशासन के लिए दोनों मंत्रालयों के मध्य अभिसरण को सशक्त करना और नमस्ते घटक का कार्यान्वयन करना है। स्कीम में नमस्ते, एसबीएम, डे-एनयूएलएम और एनएसकेएफडीसी के लिए वितीय आवंटनों को उपलब्ध कराना तथा एसएसडब्ल्यू के लिए व्यावसायिक, सामाजिक और वितीय सुरक्षा नेट प्रदान करने हेतु संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति निहित है। विशेषतः निम्नलिखित इंटरवेंशनों /घटकों के लिए नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की स्कीमों (एसबीएम और डे-एनयूएलएम) के कार्यान्वयन के साथ अभिसरित किया जाएगाः
 - क. एमआईएस पोर्टल के माध्यम से एसएसडब्ल्यू की पहचान और प्रोफाइलिंग करना।
 - ख. प्रत्येक जिले में रिस्पांसिबल सेनिटेशन अथॉरिटी (आरएसए) का नामांकन सुनिश्चित करना।





- ग. प्रत्येक जिले के बड़े यूएलबी में एमरजेंसी रिस्पांस सेनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) की स्थापना, जिसमें सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित संख्या में प्रिशिक्षित स्वच्छता कर्मी और मशीनीकृत सफाई उपकरण उपलब्ध हों।
- घ. सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए सेवा प्राप्तकर्ताओं से सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ईआरएसयू में अधिमानतः हेल्पलाइन नंबर 14420 चालू करना।
- इ. सीवर एंट्री प्रोफेशनल्स (एसईपी) और इयूटी पर्यवेक्षकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रिशिक्षण और कौशल सिहत नमस्ते स्कीम को लागू करने के लिए यूएलबी और ईआरएसयू कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- च. पीएसएसओ और एसएसडब्ल्यू को शामिल करने के लिए यूएलबी को मॉडल अन्बंध जारी करना।
- छ. स्थानीय स्तर पर एमआईएस पोर्टल पर पीएसएसओ की सूची बनाना।
- ज. चिन्हित सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के एसएचजी गठन की सुविधा प्रदान करना।
- झ. ईआरएसयू के लिए सीवर/सेप्टिक टैंकों की गहरी सफाई (सतह के नीचे) के लिए पीपीई किट, स्रक्षा उपकरण खरीदना और उनको वितरित करना।
- ञ. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के मशीनीकरण को बढ़ावा देना और उन्हें निधियां प्रदान करना।
- ट. स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने में खी रखने वाले स्वच्छता कर्मियों अथवा उनके समूहों को कार्य आश्वासन प्रदान करना।
- ठ. यूएलबी में आईईसी गतिविधियाँ चलाना।

उपरोक्त इंटरवेंशन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा। अभिसरण प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों के प्रयासों और कवरेज में कोई दोहराव न हो।





3.6 अन्य मंत्रालयों /विभागों के साथ अभिसरण:

- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत एसएसडब्ल्यू और मैनुअल स्केवेंजरों तथा उनके परिवारों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए मैनुअल स्केवेंजर और स्वच्छता कर्मी उन 11 श्रेणियों में से हैं जिनके आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रधिकरण द्वारा पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए किया जाना है। शेष मैनुअल स्केवेंजर और नए चिन्हित एसएसडब्ल्यू को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा तथा नमस्ते स्कीम के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दवारा वित पोषित किया जाएगा।
- (ii) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग: मशीनीकृत सफाई के लिए उपकरणों/मशीनों के विकास में नवाचार को बढ़ावा देना और इसके लिए स्टार्ट-अप की पहचान करना।
- (iii) पेयजल और स्वच्छता विभागः प्रत्येक जिले के सबसे बड़े शहरी स्थानीय निकायों में स्थिपित ईआरएसयू भले ही वे ग्रामीण क्षेत्राधिकार में स्थित हो, शहरी क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्र में आपातकालीन सफाई की सेवा प्रदान करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने ग्रामीण निकायों को संवेदनशील बनाने हेतु इन ईआरएसयू के साथ सहयोग करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसएसओ की मैंपिंग करेगा और उन्हें एटीपी/एफएसटीपी के साथ टैग करेगा। वे ग्राम पंचायतों और अर्ध शहरी परिधीय क्षेत्रों को लिक्षित करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई संचालन के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के बारे में ग्रामीण और शहरी परिधीय क्षेत्रों में आईईसी गतिविधियां चलाएंगे।
- (iv) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय पीएमकेवीवाई के साथ मिलकर एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ऐसे उम्मीदवारों के वजीफे का भुगतान नमस्ते स्कीम के अंतर्गत निधियों से किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एवं विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास के सामान्य मानदंडों और पीएमकेवीवाई 4.0 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। इस योजना के अंतर्गत 40 घंटे के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों की यात्रा लागत भी शामिल होगी।





3.6.1 नमस्ते स्कीम सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में शामिल स्वच्छता कीर्मेयों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्यक्रमों के अभिसरण का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगा। अतः विभिन्न आवश्यक इंटरवेंशन चाहे वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय विभाग द्वारा निपटाए जा रहे हों उन्हें विशेष रूप से चिन्हित किया गया हैं और नमस्ते स्कीम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण में समेकित करने का प्रस्ताव दिया गया है। नमस्ते स्कीम के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्राप्त करने के लिए आवश्यक इंटरवेंशनों के वितरण के लिए उत्तरदायी मंत्रालय विभाग का विस्तृत ब्यौरा निम्नान्सार है:-

भाग	घटक	उत्तरदायी मंत्रालय/विभाग
भाग -क	ईआरएसयू का गठन और क्रियाशीलता	
	-हेल्पलाइन	आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय
	-एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
		(यूएलबी की मदद से)
	-ईआरएसयू स्टाफ और एसईपी का क्षमता निर्माण	आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय
	-सुरक्षा उपकरण	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
	-पीपीई किट	
	- सतह की सफाई करने वाले एसएसडब्ल्यू के लिए	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
	सीवर की गहरी सफ़ाई करने वाले कर्मचारियों के लिए	आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय
	-मशीनें/उपकरण	आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय
	निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (पीएसएसओ) की सूची	आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय
भाग-ख	यंत्रीकृत सफाई उपकरणों/मशीनों का प्रावधान	
	-यूएलबी	आवासन और शहरी कार्य





		मंत्रालय
	-एसयूवाई के अंतर्गत स्वच्छता कर्मी (आधार से जुड़े	सामाजिक न्याय और
	बैंक खातों के साथ)	अधिकारिता मंत्रालय
भाग-ग	एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा	एनएचए की सूची में
		नहीं आने वाले लाभर्थियों
		के लिए नमस्ते स्कीम
		द्वारा वित पोषण के
		साथ एनएचए
भाग-घ	क्षमता निर्माण	
	- भूतल एसएसडब्ल्यू का व्यावसायिक प्रशिक्षण	कौशल विकास और
		उद्यमिता मंत्रालय /
		सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
	-सीवर एंट्री प्रोफेशनल (एसईपी) का व्यावसायिक	आवासन और शहरी कार्य
	प्रशिक्षण	मं त्रालय
	-कार्यशालाएँ	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
	-ईआरएसयू के गठन के बारे में अध्ययन और मूल्यांकन	सामाजिक न्याय और
	और पीयर लर्निंग	अधिकारिता मंत्रालय
भाग - इ	आईईसी अभियान	
	-पीएसएसओ केंद्रित	आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय
	-नागरिक केंद्रित	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
	-सफाईमित्र केंद्रित	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय
भाग- च	एमआईएस	
	नमस्ते पोर्टल का विकास एवं रखरखाव	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय,
		आवासन और शहरी कार्य
		मंत्रालय के परामर्श के
		साथ
भाग-छ	प्रशासनिक एवं अनिधिक व्यय	सामाजिक न्याय और
		अधिकारिता मंत्रालय





3.6.2 इसके अलावा, एसआरएमएस के अंतर्गत निम्नलिखित मौजूदा घटक एसएसडब्ल्यू और पीएसएसओ एवं निजी ठेकेदारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे:-

(i-क) स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता: वर्तमान समय में, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर, स्वच्छता कर्मी और उनके अश्वित स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी के पात्र हैं। इसलिए, एसएसडब्ल्यू बड़े पैमाने पर क्रेडिट लिंक्ड अप-फ्रंट पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है: -

•	•
15.00 लाख रुपए तक की परियोजना	परियोजना लागत का 50%
लागत	
50.00 लाख रुपए तक की समूह	उपर्युक्त के अनुसार ही, जिसमें प्रति सदस्य अधिकतम
परियोजनाओं के लिए जिसमें प्रत्येक	प्ंजीगत सब्सिडी 5 लाख रुपए और अधिकतम समूह
लाभार्थी का परियोजना में भाग	परियोजना सब्सिडी 25 लाख रुपए।
अधिकतम 10.00 लाख रुपए तक हो।	

- क. ऋण के पुनर्भुगतान की अविध जिसमें 5,00,000 रुपए तक की परियोजना के लिए 5 वर्ष की अधिस्थगन अविध होगी तथा 5,00,000 रूपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए अधिस्थगन अविध 7 वर्ष होगी, पुनर्भुगतान 6 माह से आरंभ होगा।
- ख. दिनांक 31.03.2026 के बाद किसी भी प्रतिबद्धता को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- ग. ऋण के लाभार्थी जिन्होंने पूर्ववर्ती ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया है वे बाद में ऋण के लिए पात्र हैं।
- घ. ऋण देने वाली एजेंसियां लाभार्थियों को ऋण पासबुक जारी करेंगी। इन पासबुकों में अन्य बातों के अलावा, ऋण की मंजूरी की तारीख, स्वीकृत ऋण की राशि, पूंजीगत सब्सिडी की राशि, ब्याज दर, प्रत्येक किस्त के अंतर्गत देय राशि, किश्तों की देय तारीख आदि और लाभार्थियों का आधार कार्ड तथा पैन कार्ड विवरण, पते जैसे विवरण शामिल होंगे।





ङ. हैंडहोल्डिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाएगा और नमस्ते स्कीम के लक्ष्य समूह को ऋण प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए परियोजना लागत का 1% प्रदान किया जाएगा।

(i-ख) निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (पीएसएसओ) और निजी ठेकेदारों को मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी: मशीनीकरण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने तथा निजी क्षेत्र के हितधारकों, विशेष रूप से निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (पीएसएसओ) और निजी ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मशीनीकृत सफाई उपकरण/वाहनों की खरीद करने और उन्हें प्रयोग में लाने के लिए अग्रिम पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी हितलाभ की पात्रता के लिए, निजी ठेकेदारों/पीएसएसओ के पास सब्सिडी का लाभ उठाने के समय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक सिक्रय मॉडल अनुबंध होना चाहिए। अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

परियोजना लागत	अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी		
यूनिट लागत पर	परियोजना लागत का 25%, अधिकतम 10.00 लाख रुपये प्रति यूनिट		
कोई सीमा नहीं	की शर्त के अधीन (जो भी कम हो)		

(ii) सीवरों और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई पर कार्यशालाएं:

एसआरएमएस के अंतर्गत नगर पालिकाओं में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की पिरसंकटमय सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, अधिकारियों, स्वच्छता इंजीनियरों/निरीक्षकों, ठेकेदारों और किर्मियों को ''हाथ से मैला उठाने वाले किर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के बारे में और विशेष रूप से सुरक्षा गियर तथा सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाता है। एसएसडब्ल्यू के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहेंगी, जिसमें जन प्रतिनिधियों, मॉल, होटल, अस्पताल, आरडब्ल्यूए आदि और उनके प्रतिष्ठानों में सेप्टिक टैंक वाले अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। एनएसकेएफडीसी अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से इन कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।





3.6.3 एसआरएमएस के निम्नित्खित मौजूदा घटकों को चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों और उनके अश्रितों के प्नर्वास के लिए लागू किया जाना जारी रहेगा:-

- (i) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पात्रता मानदंडों के अधीन, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों और उनके अश्रितों के, जो प्रशिक्षण के इच्छुक हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से उनकी पसंद का कौशल प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। एनएसकेएफडीसी द्वारा 3000/-(केवल तीन हजार रूपए) का मासिक वजीफा अथवा ऐसी कोई भी रिश जो समय-समय पर तय की जा सकती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति, अन्य नियम एवं शर्तों को पूरा करने के अधीन संपूर्ण प्रशिक्षण अविध के लिए सीधे प्रशिक्षु के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- (ii) इस स्कीम के अंतर्गत स्वरोजगार परियोजना (सामान्य परियोजना) के लिए चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों एवं उनके अश्रितों को अधिकतम 15 लाख रूपए तक की परियोजना लागत के लिए 5.00 लाख रूपए की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी देय होगी। तथापि, स्वयं सहायता समूहों/समूहों की परियोजनाओं के लिए अधिकतम 50 लाख रूपए की परियोजना लागत के लिए 18.75 लाख रूपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- (iii) मैनुअल स्केवेंजरों/अश्वित लाभार्थियों के पास किसी भी व्यवहार्य आय सृजित स्व-रोज़गार परियोजना का चयन करने का विकल्प है। लाभार्थियों पर परियोजनाएं थोपी नहीं जाएंगी, बल्कि परियोजना के चयन में उनकी रुचि, अनुभव और पसंद को उचित महत्व दिया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा चुनी जा सकने वाली परियोजनाओं की एक सांकेतिक सूची संलग्नक-। में दी गई है।
- (iv) ऋण के पुनर्भुगतान की अविध जिसमें 5,00,000 रुपए तक की परियोजना के लिए 5 वर्ष की अधिस्थगन अविध होगी तथा 5,00,000 रूपए से अधिक की





परियोजनाओं के लिए अधिस्थगन अविध 7 वर्ष होगी, पुनर्भुगतान 6 माह से आरंभ होगा।

- (v) लाभार्थियों को हैंडहोल्डिंग एजेंसियों द्वारा वितीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए स्व-रोज़गार परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें उन परियोजनाओं की परियोजना लागत का 1% प्रदान किया जाएगा जिनके विरुद्ध लाभार्थियों को वास्तव में वितरित किया गया है।
- (vi) लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड अप फ्रंट कैपिटल सब्सिडी निम्न प्रकार से बड़े पैमाने पर प्रदान की जाएगी:

परियोजना लागत का रेंज (रू.)	सब्सिडी की दर
व्यक्तियों के लिए	
5,00,000 रू. तक	परियोजना लागत का 50%
5,00,000 से 15,00,000	2.5 लाख रूपए+ शेष परियोजना लागत का 25%
समूह परियोजनाओं के लिए :	
50,00,000 रूपए तक की	ट्यक्ति विशेष को अनुमत्य के अनुसार प्रति लाभार्थी
अधिकतम परियोजना लागत	अधिकतम 3.75 लाख रूपए के अध्यधीन
के लिए 10,00,000 रूपए प्रति	
लाभार्थी तक	

- (vii) जिन लाभार्थियों ने पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है वे बाद में ऋण के लिए पात्र हैं।
- 3.7 पीएसएसओ का पैनल बनाना: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई की सेवाएं प्रदान करने वाले नए अथवा मौजूदा पीएसएसओ की प्रोफाइलिंग करेगा, जो स्थानीय सरकारी एजेंसी, यूएलबी, अथवा पैरास्टेटल एजेंसियों (जैसे स्थानीय विकास विकास प्रधिकरण, छावनी बोर्ड, जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी आदि) के साथ सूचीबद्ध हैं। केवल सूचीबद्ध सेवा प्रदाता ही सेप्टिक टैंक, मशीन होल और सीवर लाइनों की सफाई के लिए





सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत होंगे। इन सेवा प्रदाताओं का विवरण आम जनता के लिए लिए नमस्ते पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा।

- एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग: यूएलबी और पैरास्टेटल एजेंसियां उनके अथवा (i) पीएसएसओ द्वारा नियोजित एसएसडब्ल्यू की सूची बनाएंगी। सूचीबद्ध एसएसडब्ल्यू को यूएलबी द्वारा आयोजित प्रोफाइलिंग शिविरों के दौरान उनके आश्रितों के विवरण और विभिन्न पात्रताओं तक पह्ंच सहित अतिरिक्त जानकारी के साथ सत्यापित किया जाएगा। नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आधार विकसित करने हेतु एसएसडब्ल्यू प्रोफाइल के इस डाटाबेस का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। एसएसडब्ल्यू की पूरी प्रोफाइल नमस्ते पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, 5 लाख की आबादी पर 100 स्वच्छता कर्मी हैं। वर्ष 2021 तक शहरी जनसंख्या (अनुमानित) लगभग 50 करोड़ है (जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या और दशकीय वृद्धि दर का उपयोग करके की गई है)। इस प्रकार, अनुमान है कि इस प्रक्रिया में कुल 1,00,000 एसएसडब्ल्यू की पहचान की जाएगी। यह आंकड़ा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनएसकेएफडीसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (डीएवाई-एनयूएलएम और एसबीएम 2.0 सहित), एनएचए और एमएसडीई को एसएसडब्ल्यू और उनके अश्रितों तक पहुंचने और उन्हें सामूहिकता, कौशल निर्माण और सामाजिक एवं वितीय लाभों से जोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में सक्षम करेगा। प्रोफाइलिंग शिविरों के आयोजन के लिए यूएलबी को प्रोफाइल किए गए प्रति 25 एसएसडब्ल्यू के लिए 2000/- रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
- (ii) स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लाओं का विस्तार: एसएसडब्ल्यू, अपने काम की पिरसंकटमय प्रकृति के कारण, बीमारी से जूझते हैं। इसके अतिरिक्त, वे समाज सबसे निचले सामाजिक-आर्थिक स्तर से आते हैं, जिनके पास अप्रत्याशित स्वास्थ्य स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बहुत कम संसाधन हैं, जो पिरसंकटमय कार्य वातावरण में काम करने से उत्पन्न हो सकते हैं। कर्मियों और उनके परिवारों को बीमार पड़ने अथवा किसी दुर्घटना का शिकार होने की स्थिति में सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए, एसएसडब्ल्यू और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा, चिन्हित





मैनुअल स्केवेंजरों और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रधिकरण द्वारा कवर किया जाएगा। एक बार जब एसएसडब्ल्यू का आंकड़ा और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किया जाएगा, तो उन्हें सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एनएचए डी-डुप्लीकेशन का अभ्यास करेगा और केवल बचे हुए मैनुअल स्केवेंजरों और एसएसडब्ल्यू को नमस्ते स्कीम के अंतर्गत यह लाभ प्रदान किया जाएगा। नमस्ते स्कीम के लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा लाभ का विस्तार पीएम-जेएवाई घटक के अंतर्गत उनके कवरेज पर व्यय विभाग के निर्देशों के अधीन होगा।

- (iii) आजीविका परामर्श और सहायता: यह स्कीम मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। एनएसकेएफडीसी सफाई कार्यों के पूर्ण मशीनीकरण के लिए एसयूवाई के अंतर्गत स्वच्छता उपकरण और वाहनों की खरीद के लिए मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों सिहत स्वच्छता कर्मियों को व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में निधि सहायता और अग्रिम पूंजीगत सिब्सिडी प्रदान करेगा। सिब्सिडी के बारे में विवरण पहले ही ऊपर पैरा 3.6.2(i) में दर्शाया गया है। स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को पूंजीगत सिब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ऋणधारकों के पास आधार से जुड़े बैंक खाते हों।
- (iv) ईआरएसयू के सुद्धीकरण के लिए प्रशिक्षण: नमस्ते स्कीम सभी ईआरएसयू कर्मचारियों और एसएसडब्ल्यू के प्रशिक्षण के लिए योग्यता-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, वैश्विक मानकों से मेल खाते हुए सिमुलेशन/वीडियो-आधारित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, व्यावहारिक मूल्यांकन और प्रमाणन प्रदान करने के लिए इकॉसिस्टम तैयार करेगा। ऐसे प्रशिक्षण की लागत नमस्ते स्कीम की निधियों से पूरी नहीं की जाएगी, लेकिन पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत एमएसडीई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जैसा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईआरएसयू परामर्शिका में निर्धारित किया गया है, केवल एसईपी के रूप में नामित नामित कुशल और प्रमाणित एसएसडब्ल्यू ही विशेष मामलों में सेप्टिक टैंक, मशीन मशीन होल और सीवर लाइनों की मैन्युअल सफाई करेंगे। जबिक एसएसडब्ल्यू का





का व्यावसायिक प्रशिक्षण नमस्ते के अंतर्गत एमएसडीई और एनएसकेएफडीसी द्वारा किया जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ, एमएस अधिनियम 2013 और एमएस नियमावली, 2013 के प्रावधानों तथा मशीनीकृत सफाई के लिए उनके द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एसईपी तथा एसआरयू के कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नमस्ते के अंतर्गत एमडीएसई के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षुओं को आधार प्रमाणित भुगतान प्रणाली पर, पीएफएमएस पर डीबीटी के माध्यम से, एनएसकेएफडीसी द्वारा सीधे प्रति उम्मीदवार 500/- रुपये की दर वजीफा उपलब्ध कराया जाएगा। एमएसडीई पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षित उम्मीदवारों के आंकड़ो का उपयोग वजीफा के भुगतान के लिए किया जाएगा।

- एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई का प्रावधान: नमस्ते स्कीम का उद्देश्य एसएसडब्ल्यू (v) को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार दस्ताने, बॉडी सूट, स्रक्षित जूते, मास्क, स्रक्षा चश्मे आदि से युक्त पीपीई किट उपलब्ध कराके उनकी व्यावसायिक स्रक्षा स्निश्चित करना है। विभिन्न जोखिमों के लगातार संपर्क में रहने के कारण अधिकांश एसएसडब्ल्यू श्वसन तथा त्वचा रोगों से पीड़ित हैं। पूरे वर्ष पीपीई किट की उपलब्धता उन्हें श्वसन और त्वचा रोगों से बचाएगी तथा उनके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगी। यह स्निश्चित किया जाएगा कि प्रयासों और कवरेज का दोहराव न हो। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार भारत सरकार की प्रापण प्रक्रिया के अनुसार जेम के माध्यम से पीपीई किट खरीदी जाएंगी। शहरी स्थानीय निकायों को मशीनीकृत सफाई कार्य करने वाले सतही सफाई स्वच्छता कर्मचारियों के लिए पीपीई किट एनएसकेएफडीसी द्वारा केंद्रीय खरीद के माध्यम से या राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा खरीदे गए पीपीई किट के लिए प्रति लाभार्थी 4000 रुपये की दर से प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। जबकि, आपातकालीन स्थितियों में हाथ से सफाई करने वाले गहन सफाई स्वच्छता कर्मचारी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (vi) शहरी स्थानीय निकार्यों को सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान: एमएस नियमावली, 2013 केवल विशेष मामलों में यूएलबी के सीईओ की अनुमित से सीवर और





सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई का प्रावधान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रमुख यूएलबी में आपातकालीन स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, ईआरएसयू को सीवरों की हाथ से सफाई के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की की आवश्यकता है। इसलिए, ईआरएसयू को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा केंद्रीय खरीद के माध्यम से अथवा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति के आधार पर 2,00,000/- रुपये की लागत तक ब्लोअर हेतु एयर कंप्रेसर, वायु शुद्ध गैस मास्क, सांस लेने वाला मास्क, श्वास उपकरण, आपातकालीन चिकित्सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन किट, गैस मोटर, फुल बॉडी वेडर सूट, जूते के साथ फिशिंग वेडर सूट, हेड लैंप, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बॉडी क्लोधिंग, सेफ्टी बॉडी हार्नेस, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी बेल्ट के साथ ट्राइपॉड आदि जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सीवरों की आपातकालीन सफाई के लिए देश में लगभग 1000 एसआरयू स्थापित किए जाने की संभावना है।

(vii) **आईईसी अभियान:** यूएलबी और एनएसकेएफडीसी द्वारा एसएसडब्ल्यू के स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और केवल सूचीबद्ध पीएसएसओ के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। प्रचार के लिए स्थानीय भाषा और अंग्रेजी/हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स का उपयोग किया जाएगा। जाएगा। घरों/नागरिकों/आरडब्ल्यूए/मॉल मलिकों/ अस्पतालों/होटलों/ठेकेदारों को को सीवर/सेप्टिक टैंकों की रुकावट को दूर करने के लिए ईआरएसयू/पैनल में शामिल पीएसएसओ की सेवाओं का उपयोग करने और इस उद्देश्य के लिए किसी भी अनिधकृत एजेंसियों अथवा अप्रशिक्षित कर्मियों को सम्मिलित न करने के लिए लिए शिक्षित करने हेत् आउटरीच कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। जागरूकता अभियान अभियान लोगों को सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक हाथ की सफाई में व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए एमएस अधिनियम 2013 के तहत दंडात्मक दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी शिक्षित करेगा। वर्तमान में, आयोजित की जा रही सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाती रहेंगी। स्कीम की कुल लागत का 5% तक का उपयोग आईईसी अभियान के के लिए किया जा सकता है।





आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यूएलबी में और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीण/परिधीय क्षेत्रों में आईईसी अभियान चलाया जाएगा।

(viii) आईटी अवसंरचना: यूएलबी स्तर पर सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं और एसएसडब्ल्यू के आंकड़ों को प्रदर्शित करने तथा यूएलबी द्वारा लक्ष्यों और उपलब्धियों पर पर ध्यान देने के लिए नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नमस्ते पोर्टल क्रियान्वित किया गया है । नमस्ते स्कीम के बजट शीर्ष के अंतर्गत जीएफआर के प्रावधानों तथा भारत सरकार के अन्य निर्देशों के अनुपालन में व्यय किया जाएगा।





(ix) स्थायी वित्त समिति द्वारा 13.08.2025 को आयोजित की गई अपनी बैठक में यथाअनुमोदित वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक और वितीय लक्ष्य:-

क)	एसएसडब्ल्यु घटक समय सीमा				
41)	एसएसडब्ल्यू घटक				
_ - -		वित्तीय वर्ष 25-26 लाभार्थियों निधि यूनिट लागत			<u> </u>
क्र.सं.	घटक				टिप्पणियां
	2 2 2 2	की संख्या		(रु. करोड़ में)	2000 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1	एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग	500	2000	0.1	2000 रुपये प्रति शिविर की दर से 500 शिविर
2	ईआरएसयू के लिए सुरक्षा उपकरण	667	200000	13.34	
3	सतही सफाई करने वाले एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई किट	30000	4000	12.00	
4	सतही एसएसडब्ल्यू के क्षमता निर्माण, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण	25000	4405.08	11.01	लागत में 3405.08 रुपये का पाठ्यक्रम शुल्क और 1000 रुपये की दर से यात्रा लागत सहित वजीफा शामिल है। (कुल राशि 4405.08 रुपये प्रति व्यक्ति है)
5	कार्यशालाएं	500	20000	1	
6	मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए स्वच्छता उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी	250	500000	12.5	प्रति यूनिट औसत लागत 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रावधान के साथ 5.00 लाख रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ा दी गई है।
7	मशीनीकृत सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए पीएसएसओ और ठेकेदारों को पूंजीगत सब्सिडी	100	1000000	10	100 इकाइयां, प्रत्येक को 10.00 लाख रुपये की दर से पूंजीगत सब्सिडी
8	आईईसी			1.51	
9	आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कवरेज			0.6	
10	पीएमयू को वेतन			3.63	
	कुल (क)			65.69	
	एसआरएमएस घटक				
ख)	(मैनुअल स्कैवेंजर)				
		1	वित्तीय वर्ष 25-2	26	
क्र.सं.	घटक	लाभार्थियों की संख्या	यूनिट लागत	निधि	
1	चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	2000	30000	6.00	
2	मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों के लिए स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी	200	100000	2.00	
3	पूंजीगत सब्सिडी के साथ ऋण प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को सहायता	200		0.02	
4	चिन्हित मैला ढोने वालों को ओटीसीए	1*		0.0004	* कल्पित(नोशनल) आवंटन
	কুল (ख)	চুল (ख)		8.02	
	कुल (क+ख)			73.71	





(x) स्कीम की निगरानी और मूल्यांकन: सचिव, सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे:

i.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता	-	अध्यक्ष
ii.	वरि. आर्थिक सलाहकार (प्रभाग प्रमुख), सामाजिक न्याय और	-	सदस्य
	अधिकारिता मंत्रालय		
iii.	संयुक्त सचिव एंव वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और	-	सदस्य
	अधिकारिता मंत्रालय		
iv.	सलाहकार, नीति आयोग	-	सदस्य
٧.	संयुक्त सचिव (एसबीएम), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	-	सदस्य
vi.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव (एसबीएम-जी)	-	सदस्य
	स्तर के अधिकारी		
vii.	वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	-	सदस्य
viii.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	-	सदस्य
	मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी		
ix.	डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी	-	सदस्य
Χ.	एमएसडीई के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी	-	सदस्य
xi.	सचिव, शहरी विकास, महाराष्ट्र	-	सदस्य
xii.	सचिव, समाज कल्याण, मध्य प्रदेश	-	सदस्य
xiii.	सचिव, शहरी विकास, हैदराबाद	-	सदस्य
xiv.	सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	-	सदस्य
XV.	सचिव, समाज कल्याण, ओडिशा	-	सदस्य
xvi.	सचिव, समाज कल्याण, असम	-	सदस्य
xvii.	प्रबंध निदेशक, एनएसकेएफडीसी	-	संयोजक

नोट: यदि आवश्यकता महसूस हो, तो समिति अपनी बैठक में विशेष सदस्यों को आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफ़ारिशें योजना के व्यापक मानदंडों के अंतर्गत होंगी।

समन्वय समिति नमस्ते स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तरों पर अभिसरण कार्रवाई के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य मिशनों/मंत्रालयों विभागों/उद्योग संघों के साथ संपर्क करेगी। समन्वय समिति समय-समय पर मैनुअल स्कैवेंजर्स और सीवर सेप्टिक टैंक श्रमिक की सुरक्षा के संबंध में सुझाव भी देगी।





समन्वय समिति के अतिरिक्त, केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर शुरू की गई गतिविधियों की निगरानी करने और इसके कार्यान्वयन के लिए तीन स्तरीय कार्य दल होंगे।

केंद्र में कार्य दल निम्नानुसार होगा:

क्र. सं.	संरचना	
i.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार / ब्यूरो प्रमुख - योजना प्रभाग,	अध्यक्ष
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	
ii.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में (एसबीएम) का कार्यभार	सदस्य
	संभालने वाले निदेशक स्तर के अधिकारी	
iii.	पेयजल और स्वच्छता विभाग में (एसबीएम-जी)का कार्यभार	सदस्य
	संभालने वाले निदेशक स्तर के अधिकारी	
iv.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक,	सदस्य
	एनआईसी	
V.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक,	सदस्य
	आईएफडी	
vi.	शहरी प्रबंधन केंद्र के निदेशक	सदस्य
vii.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक स्तर के अधिकारी	सदस्य
viii.	एमएसडीई के निदेशक स्तर के अधिकारी	सदस्य
ix.	नगरपालिका आयुक्त, ठाणे, महाराष्ट्र*	सदस्य
X.	नगरपालिका आयुक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश*	सदस्य
xi.	प्रबंध निदेशक, एचएमडब्ल्यूएसएसबी, हैदराबाद*	सदस्य
xii.	नगरपालिका आयुक्त, वाराणसी, उत्तर प्रदेश∗	सदस्य
xiii.	नगरपालिका आयुक्त, भुवनेश्वर, ओडिशा*	सदस्य
xiv.	सफाई कर्मचारियों की देखरेख कर रहे छत्तीसगढ़ सरकार के	सदस्य
	निदेशक, समाज कल्याण*	
XV.	सफाई कर्मचारियों की देखरेख कर रहे तमिलनाडु सरकार के	सदस्य
	निदेशक, समाज कल्याण*	
xvi.	सफाई कर्मचारियों की देखरेख कर रहे मिज़ोरम सरकार के	सदस्य
	निदेशक, समाज कल्याण*	
xvii.	प्रबंध निदेशक, एनएसकेएफडीसी	संयोजक

^{*} प्रारंभ में 31.03.2025 तक की अविध के लिए रोटेशन के आधार पर, उसके बाद अन्य राज्यों को शमिल किया जाएगा।





राज्य स्तर पर कार्य दल निम्नानुसार होंगे:-

क्र. सं.	संरचना	
i.	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण (सफाई कर्मचारियों की देखरेख कर रहे)	अध्यक्ष
ii.	शहरी विकास विभाग के राज्य नमस्ते नोडल अधिकारी	सदस्य
iii.	समाज कल्याण विभाग के राज्य नमस्ते नोडल अधिकारी	सदस्य
iv.	मिशन निदेशक, एसबीएम-जी	सदस्य
V.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
vi.	निदेशक, स्वास्थ्य	सदस्य
vii.	निदेशक, कौशल विकास	सदस्य
viii.	एसकेएफडीसी या अन्य राज्य निगम के प्रबंध निदेशक, जिन्हें सफाई कर्मचारियों से	संयोजक
	संबंधित कार्य सौंपा गया है।	

जिला स्तर पर कार्य समूह निम्नानुसार होंगे:-

क्र. सं.	संरचना	
i.	डीएम/एडीएम/सीईओ जिला परिषद	अध्यक्ष
ii.	जिले के सबसे बड़े शहरी स्थानीय निकाय के नगरपालिका आयुक्त	सदस्य
iii.	जिला समन्वयक, एसबीएम-जी	सदस्य
iv.	जिले में नमस्ते के लिए शहरी स्थानीय निकायों के नोडल अधिकारी	सदस्य
V.	जिले के अग्रणी बैंक के प्रबंधक	सदस्य
vi.	पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के नहीं	सदस्य
vii.	मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
viii.	कौशल विकास से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
ix.	राज्य निगम के जिला नोडल अधिकारी	सदस्य
x.	जिला समाज कल्याण अधिकारी (सफाई कर्मचारियों की देखरेख कर रहे)	संयोजक

स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान मध्याविध सुधारों को प्रभवित करने तथा स्कीम को इसके प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप बनाने के लिए स्कीम का मूल्यांकन किया जाएगा। इन कार्यकलापों की लागत नमस्ते स्कीम के प्रशासनिक और अनिधक व्यय (ए एंड ओई) घटक के अंतर्गत पूरी की जाएगी।

(xi) राज्य नमस्ते समन्वयक: राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य नमस्ते निदेशक/नोडल अधिकारी को राज्य नमस्ते समन्वयक (एसएनसी)/परियोजना प्रबंधक द्वारा सहायता





उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे भारत सरकार द्वारा स्कीम के अंतर्गत निर्धारित निर्बंधन और शर्तों के अनुसार राज्य नमस्ते निदेशकों/नोडल अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उन्हें स्थानीय यात्रा सिहत 55,000/- रुपए एकबारगी मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। परियोजना प्रबंधकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन और लैपटॉप को कार्यरत स्थिति में व्यवस्थित करना होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य परियोजना प्रबंधकों को राज्य नमस्ते निदेशक/नोडल अधिकारी के साथ संबद्ध किया जाएगा, जो उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, एसएनसी/कार्यक्रम प्रबंधक को पारिश्रमिक का भुगतान भुगतान मासिक आधार पर राज्य नमस्ते निदेशक/नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित संतोषजनक प्रदर्शन और उपस्थिति होने पर नमस्ते की निधियों से किया जाएगा।

3.8 कार्यान्वयन मशीनरी:

- (i) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, नमस्ते स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। यह स्कीम एमओएसजेई तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की समर्पित राष्ट्रीय टीम के साथ संयुक्त पहल के रूप में प्रचालन संचालित होगी। जैसा कि ऊपर पैरा 3.7(x) में दर्शाया गया है, स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी तीन स्तरीय कार्य समृह दवारा की जाएगी।
- (ii) यूएलबी द्वारा मोबाइल ऐप और समर्पित नमस्ते एमआईएस पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय आधार पर निगरानी और रिपोर्टिंग की जाएगी।
- (iii) राज्य स्तर पर, प्रत्येक राज्य निदेशक, नगर प्रशासन मिशन निदेशक एसबीएम-शहरी, अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को निदेशक नमस्ते के रूप में कार्य करने के लिए नमित करेगा।
- (iv) शहरी स्तर पर, यूएलबी नमस्ते के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नमित करेगा, जो एनएसकेएफडीसी और राज्य नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा।





- (v) कार्यान्वयन अविध: नमस्ते योजना वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इसके बाद एमओएसजेई और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में तथा सुझावों को स्कीम में सम्मिलित करने के बाद इसे जारी रखा जा सकता है।
- 4. पूर्ववर्ती एसआरएमएस के अंतर्गत घटकों के अन्सार अन्य प्नर्वास लाभ:
 - (i) विभिन्न अन्य मंत्रालयों आदि की मौजूदा स्कीमें, जैसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला उद्योग केंद्र, ग्रामीण स्वरोजगार प्रिशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), राष्ट्रीय प्रिशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि का लाभार्थियों को प्रिशिक्षण देने के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थियों के प्रिशिक्षण के लिए एसआरएमएस के अंतर्गत तैयार किए गए राष्ट्रीय और राज्य विशिष्ट प्रिशिक्षण ढांचे, प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रिशिक्षण कार्यक्रम के चयन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होंगे।
- 5. एमएसडीई अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से, पहचाने गए एसएसडब्ल्यू के लिए, समय-समय पर, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के आवास/कार्यस्थल के निकट केंद्रों पर सुनिश्चित करेगा तािक उन्हें निम्निलिखित के बारे में जागरूक किया जा सके:-
 - (i) सुरक्षात्मक गियर के साथ सीवर सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई का प्रशिक्षण।
 - (ii) सुरक्षित और स्वस्थ सफाई प्रथाएँ
 - (iii) एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम
 - (iv) डिजिटल साक्षरता
 - (v) व्यक्तित्व विकास और व्यक्तिगत स्वच्छता
 - (vi) सामाजिक व्यवहार आदि।





- 5.1 एनएसकेएफडीसी उपर्युक्त पैरा संख्या 3.6.3 में उल्लिखित लागू दरों के अनुसार प्रशिक्षुओं को वजीफा उपलब्ध कराएगा।
- 6 चिन्हित मैनुअल स्कैवंजर्स/एसएसडब्ल्यू और उनके परिवार जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, उन्हें परिवार के मानदंडों और परिभाषा के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा (जैसा कि पैरा 2 (iii) (ख) में परिभाषित किया गया है)।
- 7. यह स्कीम टीएसए मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और नमस्ते के अंतर्गत निधि का प्रवाह केवल पीएमएमएस तंत्र के माध्यम से होगा। सभी स्तरों पर स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएफएमएस पर शामिल किया जाना चाहिए और ईएटी/आरईएटी मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।
- 8. स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:
 - (i) मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों (पैरा सं. 2(iii) से 2(vi) में यथा परिभाषित) को ऋण प्रदान करने के लिए सभी संबंधित बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परामर्शिका जारी करने हेतु वितीय सेवा विभाग, वित मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। बैंकों को आवेदन की प्राप्ति से तीन माह की अविध के भीतर ऋण आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए भी सलाह दी जानी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो वे ईमेल के माध्यम से लिखित में एनएसकेएफडीसी को कारण बता सकते हैं।
 - (ii) अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की संतृष्टित के लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर और एसएसडब्ल्यू के आंकड़ों को वितीय सेवा विभाग, वित मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।
 - (iii) चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों, सफाई कर्मचारियों और उनके अश्रितों द्वारा मशीनीकृत सफाई और संबंधित सफाई परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी स्थानीय





निकायों (यूएलबी) से अनुरोध किया जाएगा कि वे उन्हें मशीनीकृत सफाई कांट्रेक्ट प्रदान प्रदान करें और संबंधित बैंकों को जॉब गारंटी भी जारी करें।

- (iv) उपयुक्त स्व-रोजगार उद्यमों को आरंभ करने और ऋण प्राप्त करने तथा स्व-उद्यम स्थिपित करने के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने के लिए लाभिधियों को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने हेतु प्रख्यात एनजीओ और अन्य एजेंसियों के माध्यम से लिक्षित समूह के हैंड होल्डिंग के प्रबंध किए जाएंगे।
- (v) लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी की निगरानी के लिए एनएसकेएफडीसी उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। परियोजना की व्यवहार्यता तथा मूल्यांकन के लिए बैंक और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां उत्तरदायी होंगी।
- (vi) लक्षित समूह को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को संबंधित ऋण गारंटी तंत्र के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- (vii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा लिक्षित समूहों के लिए उपलब्ध अन्य लाभों के बारे में लिक्षित समूह के मध्य जागरूकता निर्माण के लिए एनएसकेएफडीसी द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविरों सिहत आईईसी अभियान आयोजित किए जाएंगे। आईईसी अभियान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किया जा सकता है।
- 9. लाभार्थियों द्वारा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए निधियों के विपथन से संबंधित शिकायतों पर इस संबंध में बैंकों वितीय संस्थाओं की ऋण नीति के अनुसार बैंक उन पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 प्रतिशत दंडनीय ब्याज के साथ सब्सिडी की पूरी राशि का भुगतान करना होगा और वह स्कीम के अंतर्गत भविष्य में किसी भी सहायता के लिए अपात्र होगा।
- 10. यूएलबी/शहरी नमस्ते प्रबंधक, लाभार्थियों और बैंकों वितीय संस्थाओं के मध्य समन्वयकों का कार्य करेंगे और ऋणों के समय से वितरण तथा वसूली को स्निश्चित करेंगे।





- 11. "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेद्ध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय सतर्कता समितियां अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मैनुअल स्केवेंजरों और उनके अश्रितों के पुनर्वास की निगरानी करेंगी।
- 12. स्कीम के कार्यान्वयन की वास्तिवक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सहभागी वेबसाइट बनाई जाएगी और इसे जिला/राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर लाभार्थियों के वास्तिवक आंकड़े और उन्हें प्रदान किए जा रहे प्रत्येक लाभ का फीड सुनिश्चित करेगा।
- 13. अध्ययन और मूल्यांकन सिहत प्रशासनिक और अनिधक व्यय अन्य लागत का 2% होगा। नमस्ते पोर्टल का विकास और रखरखाव एसएफसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
- 14. स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्राप्त करने और प्रलेखन की कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाएगा।
- 15. नमस्ते पोर्टल के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट की निगरानी की जाएगी।
- 16. निधियों को जारी करने के लिए स्कीम एमएसडीई, एसजेई तथा व्यय विभाग आदि द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।





<u>संलग्नक-l</u>

संकेतात्मक परियोजनाएं/कार्यकलाप (मैनुअल स्केवेंजर के लिए)

क्र.सं.	क्षेत्र	संकेतात्मक परियोजनाएं/कार्यकलाप/स्कीम
1.	कृषि क्षेत्र	मिश्रित फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बतख पालन, दुधारू पशु। भूमि प्रापण, नर्सरी, वर्मी कंपोस्टिंग, औषधीय और सुगंधित पौधे, रेशम के कीड़ों का पालन और शहतूत फार्मिंग, मशरूम उगाना, ट्रैक्टर, पावर टिल्लर, बागवानी
2.	सेवा क्षेत्र	चायपती की दुकान, चाय की दुकान, बांस की दुकान, किराना दुकान, ऋंगार के समान की दुकान, मूर्ति बनाना, बढ़ई का काम, रिक्शा, स्टील के बर्तन बेचना, गिफ्ट आइटम शाप, फूलों की दुकान, अंडों का बिजनेस, चावल बेचना, बड़ी/पापड़ बनाना, रेडीमेड कपड़े, मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी/घरेलू उपकरण रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग और मिस्त्री, फल और सब्जी विक्रेता और मीट शाप, पान शाप, ब्यूटी पार्लर, जूतों की दुकान, इलेक्ट्रानिक शाप, सीडी/कैसेट शॉप, कम्प्यूटर, फास्ट फूड, फोटो शॉप, डाइस पॉलिशिंग, नकली ज्वेलरी, गिफ्ट स्टाल, साइकिल रिपेयरिंग, नाई की दुकान, टेलर की दुकान, आटा चक्की, साइकिल किराए पर देना और मरम्मत करना। लकड़ी का फोटो फ्रेम, हाथ की बनी ईंटें, जाली पिल्लर, हर्बल कॉस्मेटिक्स, राखी/डेकोरेटिव झालर। फेब्रीकेशन वर्क, शटरिंग, कारपेंटरी बिजनेस, खाद की दुकान, मोबाइल रिपेयर बैट्टी बाइडिंग और रिपेयरिंग, टू/फोर व्हीलर रिपेयरिंग, नाई की दुकान, ऑटो-रिक्शा (पेट्रोल), आटो-मोबाइल रिपेयर शॉप, म्यूजिक स्टोर आदि। ढाबा/मिनी होटल, अधिवक्ता कार्यालय, ईंट बेचना, ट्रैवल एजेंसी, मेडिकल शॉप, इंटरनेट कैफे, प्लास्टिक लैमिनेशन, कृषि उपकरणों की मरम्मत, ड्राई क्लीनिंग, ड्राइंग एंड ड्रेपिंग, डेंटिंग एंड पेंटिंग ऑफ व्हीकल्स और घरेलू उपकरण, सेनेटरी और हार्डवेयर शॉप घरेलू इलेक्टिकल उपकरणों की सर्विस और रिपेयरिंग टेंट हाउस, बैंड पार्टी।
3.	उद्योग क्षेत्र	झाडू, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेपर, जूट और क्लॉथ बैग और फोल्डर, पेपर एन्वेलोप और फाइल कवर, एयर बैग/पर्स, हवाई चप्पल, सर्जिकल बैंडेज बनाना, पेपर कप और कप बनाना, मोजे बनाना। बुश बनाना हॉलो ईंटे और जाली बनाना, प्रिंटिंग प्रेस, लोहार, कढ़ाई/जरी का





The same		PURE TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE		
		काम, मशीन स्क्रू बनाना, चांदी के आभूषण, जूते बनाना, हर्बल शैंपू बनाना, टायर रिट्रीडिंग, चावल की मिल, स्टोन क्रशर, होजरी यूनिट, मिनरल सोडा वाटर प्लांट, आइस और वाटर प्लांट।		
4.	परिवहन क्षेत्र	बोलेरो, महिंद्रा जीप, इनोवा, क्वालिस, टाटा सूमो, आरटीवी आदि।		
5.	सफाई आधारित	"		
	परियोजनाएं	मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट (एमटीयू), कचरा टिपर, कॉम्पैक्टर, डी-सिल्टिंग उपकरण, सेसपूल, ब्रूमिंग मशीन, भुगतान और उपयोग शौचालय आदि।		
